[2022] 18 एस. सी. आर 1082

मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी

वी.

आय कर 1 और ए. एन. डी. आर. का प्रमुख आयुक्त।

(2014 की सिविल अपील संख्या 3795)

19 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961 - एस. 10 (23 सी) (vi)-"केवल" एस. 10 (23 सी) (vi) "विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की आय को छूट देता है जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है"-जिसका अर्थ है "केवल"-आयोजितः धर्मार्थ संस्था, समाज या न्यास आदि की आवश्यकता है कि वे 'पूरी तरह से' शिक्षा या शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न हों, और किसी भी गतिविधि में संलग्न न हों।

लाभ का अर्थ है कि ऐसी संस्थाओं के ऐसे उद्देश्य नहीं हो सकते जो शिक्षा से असंबंधित हों-इस प्रकार, समाज के सभी उद्देश्य, न्यास आदि, शिक्षा प्रदान करने से संबंधित होने चाहिए या इसके संबंध में होने चाहिए - शैक्षणिक गतिविधियाँ-जहाँ संस्थान का उद्देश्य लाभ-उन्मुख प्रतीत होता है, वहाँ ऐसे संस्थान इसके हकदार नहीं होंगे -

अनुमोदन यू / एस. 10 (23 सी)-उसी समय, जहां अधिशेष किसी दिए गए वर्ष या प्रति वर्ष वर्षों के सेट में अर्जित होता है, यह एक बार नहीं है, बशर्ते कि ऐसा अधिशेष शिक्षा प्रदान करने के दौरान उत्पन्न किया जाता है या

शैक्षिक गतिविधियाँ-सातवें परंतुक में व्यवसाय 'और' लाभ 'का संदर्भ। 10 (23 सी) और एस। 11 (4 क) केवल व्यवसाय के लाभ का अर्थ है जो शैक्षिक गतिविधि के लिए 'आनुषंगिक' है, अर्थात, शिक्षा से संबंधित जैसे कि पाठ्यपुस्तकों की बिक्री, स्कूल बस की सुविधा, छात्रावास की सुविधा प्रदान करना आदि।-अमेरिकन होटल और क्वींस एजुकेशन सोसाइटी मामले में तर्क और निष्कर्ष जहाँ तक वे हैं 'केवल' अभिव्यक्ति की व्याख्या से संबंधित निर्णयों को अस्वीकार कर दिया जाता है और निर्णयों को उस हद तक खारिज कर दिया जाता है-वर्तमान निर्णय में घोषित कानून संभावित रूप से संचालित होगा-आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987।

आय कर अधिनियम, 1961 - एस. 10 (23 सी)-आयोजितः अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय यू / एस. 10 (23 सी), आयुक्त या

दूसरे परंतुक के तहत संबंधित प्राधिकारी केवल संस्था के उद्देश्यों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है -

संस्थान की वास्तविकता और उसके काम करने के तरीके का पता लगाने के लिए, आयुक्त या अन्य प्राधिकरण लेखा परीक्षित खातों या ऐसे अन्य दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए बुलाने के लिए स्वतंत्र है।

संतोष जहां समाज, न्यास या संस्था वास्तव में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है जिन्हें वह स्वीकार करता है-आयुक्त या अन्य प्राधिकरण आय और व्यय के स्वरूप को देखने के लिए खातों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करने से किसी भी तरह से विवश नहीं है।

आय कर अधिनियम, 1961 - धारा 10 (23 सी)-आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987-आयोजितः जहां भी राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत न्यास या दान का पंजीकरण अनिवार्य है, संबंधित न्यास, समाज, अन्य संस्थान आदि यू/एस से अनुमोदन चाहते हैं। 10 (23 ग) ऐसे राज्य कानूनों के प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए-यह सक्षम करेगा

वास्तविकता का पता लगाने के लिए आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी न्यास, समाज आदि।

क़ानूनों की व्याख्या-प्रावधान-इसका दायरा और उद्देश्य -

चर्चा की।

शब्द और वाक्यांश-"केवल"-चर्चा की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1.इस अदालत ने निम्नलिखित के रूप में लिखा हैः

राजस्व द्वारा विचार किया जाता है, जब न्यास या समितियाँ इस आधार पर पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन करती हैं कि वे शिक्षा में लगे हुए हैं या शामिल हैंः ((i) सोसायटी या न्यास प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता है।

शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय चलाएँ। इसके बजाय, यह हो सकता है

विद्यालय या महाविद्यालयों की स्थापना में सहायक

शिक्षा. जब तक समाज या न्यास का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, यह तथ्य कि वह स्वयं ऐसा नहीं करता है, लेकिन उसके कॉलेज या स्कूल ऐसा करते हैं, इसके परिणामस्वरूप उसके दावे को अस्वीकार नहीं किया जाता है। ((ii) यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान शिक्षा में संलग्न है या नहीं, न्यायालय को अपने उद्देश्यों पर विचार करना होगा। (iii) आवेदक संस्थान को शिक्षा प्रदान करने में लगा होना चाहिए, यदि वह शिक्षा में लगी किसी संस्था या विश्वविद्यालय का हिस्सा होने का दावा करता है। यह स्थिति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रस्तावित की गई थी जहाँ

यू. के. में निर्धारिती शिक्षा प्रदान करने में संलग्न नहीं था, लेकिन केवल लाभ के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन में।

न्यायालय ने अपने बहुमत की राय में कहा कि केवल यह तथ्य कि यह एक विश्वविद्यालय (विदेश में निगमित या स्थापित) का हिस्सा था, इसे इस आधार पर छूट का दावा करने का अधिकार नहीं देता है कि यह भारत में शिक्षा प्रदान कर रहा था। (iv) अमेरिकन होटल के फैसले में कहा गया है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या छूट के लिए आवेदक के दावे की अनुमति दी जा सकती है, 'प्रमुख उद्देश्य' पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी माना गया कि यह जांचने का चरण कि क्या और किस हद तक लाभ उत्पन्न किया गया था और उनका उपयोग कैसे किया गया था, अनुमोदन के समय आवश्यक नहीं था, बल्कि निगरानी तंत्र का हिस्सा था। (v) क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी ने 'प्रमुख वस्तु' परीक्षण को मंजूरी दी और लागू किया (जो व्यापक रूप से सूरत कला का उद्धरण दिया और इसे अनुमोदन के साथ लागू किया)। अदालत ने यह भी कहा कि केवल यह तथ्य कि पर्याप्त अधिशेष या लाभ उत्पन्न किया गया था, आईटी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है। [पैरा 48] [1128-डी-एच; 1129-ए-सी]

अदितानार शैक्षिक संस्थान बनाम। अतिरिक्त

आयकर आयुक्त (1997) 3 एस. सी. सी. 346: [1997] 1 एस. सी. आर. 948; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम। कमिश्नर आय कर (2001) 3 एस. सी. सी. 359: [2001] 1 एस. सी. आर. 574-संदर्भित।

2.1 यह स्पष्ट है कि 'कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो केवल शिक्षा के लिए मौजूद है' शब्द का अर्थ लगाने में

लाभ के प्रयोजनों के लिए नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में लाभ का दूसरा नकारात्मक संदर्भ सातवें परंतुक में है जिसमें कहा गया है कि जो आय व्यवसाय का लाभ है, उसे छूट नहीं दी जा सकती है, जब तक कि व्यवसाय लाभ के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक न हो।

इसके उद्देश्यों की प्राप्ति और अलग लेखा पुस्तकें हैं - इस तरह के व्यवसाय के संबंध में इसके द्वारा बनाए रखा जाता है। छूट देने वाला मूल प्रावधान, इस प्रकार यह आदेश देता है कि संस्थान का अस्तित्व 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए'।

यह आवश्यकता स्पष्ट है। इस आवश्यक आवश्यकता का अर्थ लगाते हुए, उस परंतुक पर विचार नहीं किया जा सकता है, जो अपवाद को, कहने के लिए, सीमित सीमा तक, तैयार करता है। 'केवल' अभिव्यक्ति की व्याख्या, जैसा कि पहले देखा गया है, अन्य निर्णयों द्वारा 'प्रमुख/प्रमुख/प्राथमिक/मुख्य' उद्देश्य के रूप में की गई है। हालांकि, 'एकमात्र' या 'केवल' शब्द का सादा और व्याकरणिक अर्थ 'केवल' या 'विशेष रूप से' है।

पी. रामनाथ अय्यर की उन्नत मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त

लॉ लेक्सिकन इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है, "केवल" का अर्थ विशेष रूप से है और मुख्य रूप से नहीं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 'केवल' को परिभाषित करती है, "केवल और किसी को या कुछ और को शामिल नहीं करना"। 'केवल' के पर्यायवाची शब्द "अकेले, स्वतंत्र रूप से, एकल-हाथ, एकल-हाथ, एकल-हाथ, गैर-सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त" हैं और इसके विपरीत शब्द "समावेशी, सामूहिक, सहयोगात्मक, संयुक्त रूप से आदि" हैं। 'केवल' शब्द 'प्रमुख/मुख्य रूप से' के समान नहीं है। 'केवल' शब्द का अर्थ है अन्य सभी का बहिष्कार। पिछले फैसलों में से कोई नहीं

विशेष रूप से अमेरिकन होटल या क्वींस एजुकेशन सोसाइटी-ने 'केवल' अभिव्यक्ति के सही अर्थ की खोज की। के लिए स्थापित धर्मार्थ संगठनों पर लागू दृष्टिकोण और तर्क सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की प्रगति पूरी तरह से

शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित या स्थापित दान से अलग। उत्तरार्द्ध के मामले में, छूट का आधार धारा 10 (23 सी) (आई. आई. आई. ए. बी.), (आई. आई. आई. ए. डी.) और (वी. आई.) है। इन सभी प्रावधानों में सकारात्मक शर्त 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए' है। और नकारात्मक निषेधाज्ञा और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं, छूट के लिए आवश्यक बाध्यकारी आदेश के रूप में बड़ी है। इसलिए 'केवल' अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, शिक्षा प्रदान करने वाले न्यास, विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान, जैसा भी मामला हो, के सभी उद्देश्य अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से होने चाहिए। कानून की स्पष्ट और स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए और

मूल प्रावधान जो छूट से संबंधित हैं, वहाँ नहीं हो सकता है कोई अन्य व्याख्या हो। [पारस 49-51] [1129-D-G; 1130-A-F]

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड ओआरएस। (2018) 9 एससीसी 1: [2018]

7 एस. सी. आर. 1191-अनुसरण किया गया।

2.2 धारा 10 (23 सी) (vi) के सातवें परंतुक में व्यापार और लाभ ('व्यवसाय के लाभ और लाभ होने') का उल्लेख है, जब तक कि व्यवसाय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है और ऐसे व्यवसाय के संबंध में उसके द्वारा अलग-अलग लेखा बहियां रखी जाती हैं।) इसलिए धारा 10 (23 सी) की व्याख्या यह है कि न्यास या शैक्षणिक संस्थान का अस्तित्व केवल अपने उद्देश्य (इस मामले में, केवल शिक्षा या शैक्षिक गतिविधि) के लिए होना चाहिए, न कि लाभ के लिए। सातवाँ परंतुक हालाँकि इस नियम के लिए एक अपवाद बनाता है, और ट्रस्ट या संस्थान को [2022] 18 एस. सी. आर. दर्ज करने की अनुमति देता है।

(या अर्जित करें) लाभ, बशर्ते 'व्यवसाय' जिसे इस रूप में पढ़ा जाना हो शिक्षा या शैक्षिक गतिविधि-और इसके अलावा कुछ भी नहीं-अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक है (अर्थात, उद्देश्य)।

शिक्षा का या उससे संबंधित)। [पैरा 58] [1134-बी-सी]

पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, (छठी संस्करण), पेज। 5249-5250 (2019) ; केवल, कैम्ब्रिज शब्दकोश (चौथा संस्करण) (2013)-संदर्भित।

2.3 दूसरा सवाल जिसे इस अदालत को संबोधित करना है, वह यह है कि क्या पी. ए. (आयुक्त या कोई अन्य नामित प्राधिकारी) को किसी भी तरह से किसी सोसायटी, ट्रस्ट या अन्य संस्थान के उद्देश्य को समझने के लिए जांच की प्रकृति को सीमित करने का आदेश दिया गया है, जब वह धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करता है। धारा 10 (23 सी) के दूसरे परंतुक की साधारण शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो न्यासों और संस्थानों द्वारा किए गए आवेदनों सहित अनुमोदन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। शिक्षा प्रदान करते हुए, कोई भी इस तरह के प्रतिबंधों को नहीं देख सकता है। 'लेखापरीक्षित वार्षिक खातों' के इंगित संदर्भ से सूचना के प्रमुखों में से एक के रूप में जिन्हें वैध रूप से कहा जा सकता है या

आवेदन के अनुमोदन के चरण में विचार के लिए अनुरोध किया गया, निष्कर्ष स्पष्ट हैः आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी के हाथ किसी भी तरह से बंधे नहीं हैं। [पारस 61,63] [1135-सी-डी; 1136-बी-सी]

3.1 अन्य कानूनों की प्रयोज्यता

ए. पी. चैरिटीज़ एक्ट द्वारा परिभाषित चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, आई. टी. एक्ट के साथ पैरिमेटेरिया हैं। इस प्रकार, प्रतिष्ठान या संघ

या 'धर्मार्थ' के लिए गठित संगठन (व्यापक रूप से शब्दबद्ध शब्द)

'उद्देश्य' धर्मार्थ संस्थानों के अर्थ में आता है। इनमें शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित समितियाँ और न्यास शामिल हैं। द.

आकलनकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि वे आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत थे या न्यास थे

विधिवत पंजीकृत, उन्हें उनके आवेदन पर विचार करने के लिए एक शर्त के रूप में राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था धारा 10 (23 सी) के तहत धर्मार्थ संस्थान। इस पहलू पर विवादित निर्णय के निष्कर्ष ठोस हैं। द.

प्रत्येक धर्मार्थ संस्थान के पंजीकरण की आवश्यकता वैकल्पिक नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि गैर के परिणाम

पंजीकरण दंडनीय है, जो मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v की अनिवार्य प्रकृति को इंगित करता है।

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त

राज्य में धर्मार्थ संस्थानों की गतिविधियों के संबंध में वैधानिक नियामक ढांचा। धारा 72-74 अधिशेष निधि और उनके उपचार से संबंधित है; धारा 75-77 न्यासों और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्तियों और हस्तांतरण पर प्रतिबंधों से संबंधित है। ये और अन्य प्रावधान ऐसे संगठनों के उचित प्रशासन से संबंधित राज्य को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाते हैं कि उनका प्रबंधन बिना किसी गड़बड़ी के कुशलता से किया जाए। इनमें न्यासों, विशेष रूप से निधियों और न्यासों के हितों की रक्षा के प्रावधान भी शामिल हैं। संपत्तियाँ। [पारस 65,68 और 69] [1137-एफ; 1138-सी-एफ; 1139 ए-बी]

3.2 इस प्रकार, धर्मार्थ संस्थान और समाज, जो

अन्य राज्य कानूनों द्वारा विनियमित होने के लिए, शिक्षा को विनियमित करने वाले कानूनों (सभी स्तरों पर) की तरह ही उनका पालन करना होगा। उन कानूनों के तहत अनुपालन या पंजीकरण भी एक प्रासंगिक विचार है जो निर्णय लेते समय आयुक्त या अन्य संबंधित प्राधिकारी के साथ वैध रूप से विचार कर सकता है।

आनुषंगिक लाभ जो यह निर्दिष्ट करता है कि किसी संस्था की आय या न्यास के संबंध में छूट, जो लाभ या व्यवसाय का साधन है, को तब तक छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि व्यवसाय आनुषंगिक, न्यास या जैसा भी मामला हो, संस्था न हो और ऐसे न्यास या संस्था द्वारा इस संबंध में अलग-अलग लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं। व्यवसाय '। इस प्रकार, धारा 10 (23 सी) और धारा 11 (4 ए) के सातवें परंतुक का अंतर्निहित उद्देश्य समान है। इन्हें मुख्य प्रावधान के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जो धारा 10 (23 सी) के तहत छूट के लिए शर्तों को स्पष्ट करता है-वही

शिक्षा, चिकित्सा संस्थान, अस्पताल आदि से संबंधित धारा 10 (23 सी) के अन्य उपखंडों पर भी शर्तें समान रूप से लागू होंगी। [पारस 70,71] [1159-सी-एफ]

3.3 निष्कर्ष -

(ए) यह माना जाता है कि धर्मार्थ की आवश्यकता

संस्था, समाज या न्यास आदि, 'केवल' संलग्न करने के लिए [2022] 18 एस. सी. आर.

स्वयं शिक्षा या शैक्षिक गतिविधियों में, और लाभ की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होने का अर्थ है कि

संस्थानों के पास ऐसी वस्तुएं नहीं हो सकतीं जो असंबंधित हों।

शिक्षा के लिए।

जहाँ संस्था का उद्देश्य प्रतीत होता है

(ख)

लाभ-उन्मुख, ऐसे संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं होंगे।

((ग)

धारा 10 (23 सी) का सातवां परंतुक, साथ ही

धारा 11 (4 ए) उन लाभों को संदर्भित करती है जो -

' संयोग से धर्मार्थ संस्था द्वारा उत्पन्न या अर्जित। वर्तमान मामले में, यह केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो शिक्षा प्रदान करते हैं या शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं।

((घ)

सातवें में 'व्यवसाय' और 'लाभ' का संदर्भ

धारा 10 (23 सी) और धारा 11 (4 ए) के परंतुक का केवल यह अर्थ है कि व्यवसाय का लाभ जो शैक्षिक गतिविधि के लिए 'आकस्मिक' है -

—

(ई)

उस हद तक खारिज कर दिया। अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय

(च)

धारा 10 (23 सी), आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी, जैसा भी मामला दूसरे परंतुक के तहत हो सकता है, केवल इसके उद्देश्यों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है।

संस्था। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां कहीं भी न्यास का पंजीकरण या

(जी)

राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत दान अनिवार्य है, धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन मांगने वाले संबंधित न्यास, समाज, अन्य संस्थान आदि को भी इसका पालन करना चाहिए। ऐसे राज्य कानूनों के प्रावधानों के साथ। [पैरा 76] [1141-ए

जी; 1142-सी-डी]

अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन बनाम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (2008) 10 एस. सी. सी. 509 [2008] 8 एस. सी. आर. 117; क्वींस एजुकेशन सोसाइटी बनाम कमिश्नर मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम।

मुख्य राजस्व आयुक्त कर 1

आंशिक रूप से अस्वीकृत। ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम। मोतीभाई नागजीभाई

[1966] 1 एस. सी. आर. 367; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

मनोहरलाल (2020) 8 एस. सी. सी. 129 [2020] 3 एस. सी. आर. 1; एस.

सुंदरम पिल्लई बनाम। वी. आर. पट्टाबीरमन (1985) 1 एस. सी. सी. 591

: [1985] 2 एस. सी. आर. 643-निर्भर।

अविनाश मेहरोत्रा बनाम। भारत संघ (2009) 6 एससीसी 398

: [2009] 5 एस. सी. आर. 913; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम की स्थिति

कर्नाटक (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एससीआर

587 ; पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी

चैंबर ऑफ कॉमर्स बनाम। आयकर आयुक्त (1976) 1 एससीसी 324: [1976] 1 एससीआर 830; ए. वी. फर्नांडीस

वी. केरल राज्य [1957] एससीआर 837; मैंगलोर

केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड v. उपायुक्त

वाणिज्यिक कर और अन्य (1992) का उपबंध (1) एस. सी. सी. 21:

[1991] 3 एस. सी. आर. 336; दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कं.

लिमिटेड वी. कर्मचारी और अन्य। [1967] 1 एससीआर 882; असम राज्य

आयकर आयुक्त (2009) 17 एस. सी. सी. 391 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 5 एससीआर 913

पैरा

1

संदर्भित किया गया है

[1997] 1 एससीआर 948

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2001] 1 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

पैरा

16

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

पैरा

22

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 पूरक। एससीआर 603

पैरा

24

संदर्भित किया गया है

[1976] 1 एससीआर 830

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[1957] एससीआर 837

संदर्भित किया गया है

पैरा

53

[1991] 3 एससीआर 336

पैरा

54

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

पैरा 55

[2022] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 3 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 56

[1985] 2 एससीआर 643

उस पर भरोसा करें

पै

रा 57

[1967] 1 एससीआर 882

संदर्भित किया गया है

पै

रा 59

[2008] 8 एससीआर 117

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पै

रा 76

[2015] 3 एससीआर 838

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पै

रा 76

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.3795

2014 से।

उच्च न्यायालय के 11.11.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की रिट याचिका No.21248 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के लिए न्यायपालिका।

के साथ

सिविल अपील 2014 का 3794,2012 का 9108,6418।
एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., सुश्री प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, सुश्री.

दिव्या स्वामी, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री अलका अग्रवाल, रुपेश कुमार, एच. राघवेंद्र राव, श्याम गोपाल, चंद्रशेखर भारती, राज बहादुर यादव, सुश्री डेज़ी हन्ना, सुश्री ओइंद्रिला सेन, शेखर कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह कहा गया है कि शिक्षा वह कुंजी है जो सोने को खोलती है

स्वतंत्रता के द्वार। 'अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ 2 में, इस अदालत ने निम्नलिखित शब्दों में शिक्षा के उद्देश्य और मूल्य को रेखांकित कियाः

" 29. शिक्षा आज भी मुक्ति का साधन बनी हुई है।

हमारे नागरिक संस्थानों की बेहतरी, हमारे नागरिक संस्थानों की सुरक्षा

स्वतंत्रता, और एक सूचित और पूछताछ का मार्ग

नागरिक। फिर अब की तरह, हम शिक्षा को मान्यता देते हैं

' सभी धर्मों के लिए एक सामान्य सूत्र। नीतिवचन 4: 13 कहते हैं, "निर्देश को पकड़ें, जाने न दें। उसकी रक्षा करो, क्योंकि वह तुम्हारी जान है। बृहदारण्यक उपनिषद में अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने की अपील करने वाले पावमन मंत्र (शुद्ध करने वाले मंत्र), श्लोक 1.3.28 के हिस्से के रूप में भी ज्ञान और शिक्षा के मूल्य पर जोर देते हैं, "मुझे अज्ञान के अंधेरे से (ज्ञान के) प्रकाश की ओर ले जाएं।" सूरह अल-बकराह, सीखने के बारे में एक महत्वपूर्ण व्याख्या देता है, "वह जिसे चाहता है उसे ज्ञान और बुद्धि देता है।

और जिसे भी ज्ञान दिया गया है, उसे बहुत अच्छा दिया गया है। 2 अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ, (2009) 6 एस. सी. सी. 398।

मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" व्यक्तियों के जीवन में दिव्य महत्व और

हमारे संविधान और गणराज्य के अस्तित्व में। 2. इन अपीलों की विषय वस्तु 3 की अस्वीकृति है

आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, "आई. टी. अधिनियम") के तहत शिक्षा के धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान (इसके बाद सामूहिक रूप से "संस्थान/न्यास" के रूप में संदर्भित) के रूप में पंजीकरण के लिए अपीलकर्ताओं का दावा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत विवादित फैसले में कहा कि अपीलकर्ता ट्रस्ट जो धारा 10 के तहत छूट का लाभ लेने का दावा करता है (23(ग) आई. टी. अधिनियम की धारा पूरी तरह से शिक्षा के उद्देश्य से नहीं बनाई गई थी, और यह कि उस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए, न्यायालय को संघ के ज्ञापन या नियमों या संबंधित न्यास के गठन पर विचार करना था।

इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों को इस आधार पर पंजीकरण से वंचित कर दिया गया कि वे आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 (इसके बाद, "ए. पी. धर्मार्थ अधिनियम") के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में पंजीकृत नहीं थे।

3. पक्षों ने आग्रह किया था कि इस तरह की पूर्व शर्त आईटी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के प्रावधानों में अनुपस्थित थी, और चूंकि कर क़ानून अपने आप में एक पूर्ण संहिता थी, इसलिए ए. पी. चैरिटी जैसे अन्य अधिनियम।

अधिनियम अनुमोदन से इनकार करने का आधार नहीं बन सका। उसी को अस्वीकार करते हुए,

उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के पिछले फैसलों के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) की व्याख्या की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 7. एक शैक्षिक संस्था, जो एक शैक्षणिक संस्थान चलाती है

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और उद्देश्य के लिए नहीं

लाभ को "अन्य शैक्षणिक संस्थान" माना जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत। यह मानना अवास्तविक और अति-तकनीकी होगा कि निर्धारिती-समाज केवल एक है

वित्तीय निकाय और "अन्य" के दायरे में नहीं आएगा

शैक्षणिक संस्थान "। यदि, सार और वास्तविकता में, एकमात्र

जिस उद्देश्य के लिए निर्धारिती अस्तित्व में आया है वह है -

3 मेसर्स सेंट ऑगस्टीन एजुकेशनल सोसाइटी बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, C.A.No.3793/2014; मेसर्स सेंट पैट्रिक एजुकेशनल सोसाइटी बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, सी. ए. सं. 3794/2014 मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, सी. ए. सं. 3795/2014; मैसर्स आर. आर.

एम. एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, सी. ए. सं. 6418/2012 और मैसर्स श्री कौंडिन्य एजुकेशनल सोसाइटी बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, सी. ए. सं. * मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, (2011) 334 आई. टी. आर. 303। रिट याचिकाओं के इस समूह का निर्णय 11.11.2010 पर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाविद्यालयों और विद्यालयों के स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे शैक्षिक समाज को "शैक्षणिक संस्थान" माना जाना चाहिए। (अदितानार शैक्षिक संस्थान बनाम। एडल्ट। सीआईटी, [1997] 224 आईटीआर 310 (एससी))। शैक्षणिक संस्थान, जो हैं एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत, अपने चरित्र को बनाए रखना जारी रखेंगे और अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत छूट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। (पाइन-ग्रोव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट v. भारत संघ, [2010] 327 आईटीआर 73 (पी एंड एच))।

स्वीकृति। 8. छूट के लिए पात्र होने के लिए, अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत, यह आवश्यक है कि एक शैक्षणिक संस्थान मौजूद हो। दूसरा, ऐसी संस्था मौजूद होनी चाहिए।

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और तीसरा, संस्थान का अस्तित्व लाभ के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। (सी. आई. टी वी. सोराबजी

नुसेरवानजी पारेख, [1993] 201 आई. टी. आर. 939 (गुजरात)। आय के प्राप्तकर्ता का चरित्र निर्धारित करने में, यह आवश्यक है कि - शुरू की गई गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करें। यदि गतिविधि का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो छूट से इनकार करना होगा। आय के प्राप्तकर्ता का चरित्र होना चाहिए

शैक्षणिक संस्थान को उसके उद्देश्यों से निर्धारित किया जाना।

(अदितानार शैक्षिक संस्थान, [1997] 224 आई. टी. आर 310 (एस. सी.)। धारा 10 (23 सी) (vi) में "केवल" शब्द पर जोर दिया गया है। केवल "का अर्थ है अनन्य रूप से और मुख्य रूप से नहीं। (सी. आई. टी वी. गुरुकुल घाटकेश्वर ट्रस्ट, (2011) 332 आई. टी. आर. 611 (ए. पी.); सी. आई. टी. बनाम। महाराजा सवाई मानसिंहजी संग्रहालय न्यास, [1988] 169 आई. टी. आर. 379 (राज))। उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए, विधानमंडल ने इसे स्पष्ट कर दिया है

वाणिज्यिक गतिविधियाँ, यह अनुमोदन का हकदार नहीं होगा अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत। (अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, [2008] 301 आईटीआर 86 (एससी)। यह केवल तभी होता है जब वस्तुओं से पता चलता है कि एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v का अस्तित्व ही है।

आय कर 1 के प्रमुख प्रतिनिधि [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निर्धारिती-समाज, एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में, विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और लाभ के लिए नहीं है, निर्धारिती धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत छूट का हकदार होगा।

एक्ट करें। (गुरुकुल घाटकेश्वर ट्रस्ट, [2011] 332 एचआर 611 (एपी) "।

4. दूसरे प्रश्न पर, अर्थात, क्या इसके तहत पंजीकरण किया जाता है

चैरिटी अधिनियम पंजीकरण के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त थी या

आई. टी. अधिनियम के तहत, विवादित फैसले में कहा गया कि इस तरह

ट्रेशन अनिवार्य थाः

" 21. ए. पी. अधिनियम 30,1987 के प्रावधानों को सभी सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थानों पर लागू करना, चाहे वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हों या नहीं, 1966 के निरस्त ए. पी. अधिनियम 17 की तरह ही बना हुआ है। 1987 के ए. पी. अधिनियम 30 का अध्याय 4 धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण से संबंधित है।

ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझता है और संस्था में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद, एक आदेश पारित करें। इसके पंजीकरण का निर्देश देना, और एक प्रमाण पत्र प्रदान करना

में प्रस्तुत विवरणों वाला पंजीकरण

अपनी जांच के परिणामस्वरूप उसके द्वारा किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हों, के साथ आवेदन। धारा 43 (6) में पंजीकरण के प्रमाण पत्र में निहित प्रत्येक संस्थान से संबंधित विवरणों को सहायक आयुक्त द्वारा बनाए गए संस्थानों और बंदोबस्ती के रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता है। इसकी एक प्रति

उपायुक्त को और दूसरा आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। धारा 43 (11) के तहत जहां कोई

न्यासी या अन्य व्यक्ति किसी के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है

धर्मार्थ संस्था, निर्दिष्ट समय के भीतर, वह होगा

जुर्माने से दंडनीय जो एक हजार तक बढ़ सकता है

धर्मार्थ संस्थान पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है संस्थान, आयुक्त न्यासी, [2022] 18 एस. सी. आर. को नोटिस देगा।

एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर और, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन, आयुक्त है

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद धर्मार्थ संस्थान को पंजीकृत करने का अधिकार।

22. खंड के स्पष्टीकरण के संयुक्त पठन पर 1 (3) (क), 1987 के ए. पी. अधिनियम 30 की धारा 2 (4) और 2 (5) से यह स्पष्ट है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को चलाने वाली संस्था

आंध्र प्रदेश राज्य एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान है। निवेदन कि, पंजीकरण के अभाव में,

1987 के ए. पी. अधिनियम 30 के प्रावधान लागू नहीं हैं जो मान्य नहीं हैं। 1987 के ए. पी. अधिनियम 30 के प्रावधान सभी पर लागू होते हैं।

सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान चाहे वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हों या नहीं। एक सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान की आवश्यकता होती है, कानून में, प्रबंधन का संचालन करने के लिए

ए. पी. के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से इसके कार्य।

1987 का अधिनियम 30। 1987 के ए. पी. अधिनियम 30 के तहत पंजीकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि शैक्षिक एजेंसी की गतिविधियाँ

राज्य एजेंसियों द्वारा निगरानी, 1987 के ए. पी. अधिनियम 30 की धारा 58 लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित है और, उप-धारा के तहत (2) ((क) प्रत्येक धर्मार्थ संस्था के खाते, जिनकी वार्षिक आय की गणना इस उद्देश्य के लिए की गई है -

एक लाख रुपये से अधिक के वित्तीय वर्ष के लिए धारा 65 सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन होगी और लेखा परीक्षा

जब और जब खर्च किया जाता है तब होता है। केवल यह तथ्य कि अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संस्थान को पंजीकृत कराने के मामले में कार्रवाई करने में विफल रहे, इसका कोई मतलब नहीं है

कानूनी परिणाम। (सरकार के सचिव, राजस्व

(दान) एपी विभाग बनाम। श्री स्वामी अयप्पा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज लिमिटेड, [2003] 6 ए. एल. टी. 62 (ए. पी.)। 23. शिक्षा प्रदान करने को एक ऐसी गतिविधि माना जाता है जो

प्रकृति में परोपकारी। शिक्षा को अब तक एक व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं माना गया है जहां लाभ ही उद्देश्य है। (बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 699; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 355; इस्लामी शिक्षा अकादमी, (2003) 6 एस. सी. सी. 697)। आय-कर अधिनियम की धारा 2 (15) "धर्मार्थ नई नोबल शैक्षिक समाज v" को परिभाषित करती है।

आय कर 1 के प्रमुख प्रतिनिधि [एस. रवींद्र भाट, जे.]

"शिक्षा" को शामिल करने का उद्देश्य। धारा 2 (15) में जिस अर्थ में "शिक्षा" शब्द का उपयोग किया गया है, वह है -

युवाओं को जीवन के कार्य की तैयारी के लिए निर्देश, स्कूली शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त शैक्षिक निर्देश के पूरे पाठ्यक्रम को भी दर्शाता है। धारा 2 (15) में "शिक्षा" शब्द का उपयोग उस व्यापक और विस्तारित अर्थ में नहीं किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक

आगे ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है। उस खंड में शिक्षा का अर्थ औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, मन और चरित्र को प्रशिक्षित करने और विकसित करने की प्रक्रिया है। (एकमात्र न्यासी, लोक शिक्षा न्यास बनाम। सीआईटी, [1975] 101 आईटीआर 234 (एससी))। "शिक्षा" की यह परिभाषा एक मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है

" शैक्षणिक संस्थान "के रूप में, धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत," शैक्षणिक संस्थान "का अस्तित्व केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। (महाराजा सवाई मानसिंहजी संग्रहालय न्यास, [1988]

169 आईटीआर 379 (राज))। छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का तत्व या सामान्य स्कूली शिक्षा का तत्व जहां शिक्षक हैं और पढ़ाए जाते हैं, वहां मौजूद होना चाहिए ताकि वे शिक्षा के दायरे में आ सकें। अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) का विस्तार। ऐसी संस्था

संयोग से, छात्रों के लाभ के लिए या उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं। यह अपने धन का निवेश कर सकता है या छात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है।

सहायता जो छात्रों को उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इस तरह की आकस्मिक गतिविधियाँ, सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की वास्तविक गतिविधि के अभाव में

शिक्षा या कक्षाओं का सामान्य संचालन, के लाभ के लिए संस्थान को योग्य बनाने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं होगा

10 (23 ग) (vi) अधिनियम का। (महाराजा सवाई मानसिंहजी संग्रहालय न्यास, [1988] 169 आई. टी. आर. 379 (राज))। चूंकि "शिक्षा" धारा 2 (5) के तहत "धर्मार्थ उद्देश्य" के दायरे में आती है। ए. पी. अधिनियम 30,1987 और आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) और ए. पी. अधिनियम 30,1987 के अनुसार ए. पी. राज्य में सभी धर्मार्थ संस्थानों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

आयुक्त को यह ठहराते हुए उचित ठहराया गया कि याचिकाकर्ता [2022] 18 एस. सी. आर.

समितियों को इसके तहत खुद को पंजीकृत करना चाहिए था

1987 के ए. पी. अधिनियम 30 के प्रावधान, जैसा कि ऐसा करने में विफलता होगी

इसके परिणामस्वरूप कानून की एक भुजा का उपयोग हारने के लिए किया जा रहा है

कानून की एक और शाखा जो न केवल सार्वजनिक नीति का विरोध करेगी, बल्कि कानून का उपहास भी करेगी। (बिहारी

लाल जयसवाल बनाम। सी. आई. टी., [1996] 217 आई. टी. आर. 746 (एस. सी.)।

अपीलार्थियों के तर्क

5. अपीलार्थियों में से एक (आर. आर. एम. एजुकेशनल सोसाइटी) की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री प्रभा स्वामी ने तर्क दिया कि

निर्णय कानून की त्रुटि में था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एसोसिएशन के ज्ञापन, नियमों या ट्रस्ट के गठन पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण निस्संदेह सही था, हालांकि शाब्दिक रूप से

धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत 'केवल' अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई थी सही नहीं है।

6. यह आग्रह किया गया कि शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल या लगे न्यासों पर धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत छूट का दावा करने के लिए कानून द्वारा कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बशर्ते कि उनका उद्देश्य लाभ के लिए न हो। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में, मूल्यांकनकर्ताओं के पास शिक्षा के अलावा अन्य उद्देश्य थे जो धर्मार्थ थे। नतीजतन, आयुक्त द्वारा पंजीकरण से इनकार करना कानून के विपरीत था।

7. विद्वान वकील ने अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

और क्वींस एजुकेशन सोसाइटी बनाम आयकर आयुक्त को

प्रस्तुत करें कि निर्धारण के लिए परीक्षा यह थी कि क्या 'प्रमुख' या 'मुख्य' गतिविधि शिक्षा थी या नहीं, बजाय इसके कि क्या कुछ लाभ संयोग से अर्जित किए गए थे। अमेरिकन होटल (ऊपर) से जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था वे थेः

" 38. प्राप्तकर्ता के चरित्र को तय करने में, यह नहीं है

प्रत्येक वर्ष के लाभ को देखना आवश्यक है, लेकिन भारत में की गई गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। यदि भारतीय गतिविधि का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो छूट देनी होगी अस्वीकार किया जाए (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस न्यायालय का निर्णय देखें)

प्रेस [(2001) 3 एससीसी 359: (2001) 247 आईटीआर 658])। इसलिए,

$ अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, (2008) 10 एस. सी. सी. 509।

' क्वीन्स एजुकेशन सोसाइटी बनाम आयकर आयुक्त, (2015) 8 एस. सी. सी. 47।

' एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. द चीफआय कर के आयुक्त 1 [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आय के प्राप्तकर्ता का चरित्र होना चाहिए भारत में शैक्षणिक संस्थान से पता लगाया जाना है

गतिविधियों की प्रकृति। यदि खर्च को पूरा करने के बाद, अधिशेष द्वारा की गई गतिविधि से संयोग से रहता है

शैक्षणिक संस्थान, यह एक होना बंद नहीं होगा

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। दूसरे शब्दों में,

गतिविधि से अधिशेष के अस्तित्व का मतलब अनुपस्थिति नहीं होगा।

अदितानार शैक्षिक संस्थान बनाम। सीआईटी [(1997) 3 एससीसी 346: (1997) 224 आईटीआर 310])। परीक्षा गतिविधि की प्रकृति है। अगर प्रिंटिंग प्रेस चलाने जैसी गतिविधि होती है जो नहीं होती है

शैक्षिक। लेकिन क्या आय/लाभ लागू किया गया है

गैर-शैक्षिक उद्देश्य के लिए केवल तय किया जाना है

वित्तीय वर्ष का अंत।

8. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि तीसरा परंतुक प्रभावी रूप से किसी भी न्यास की आय के वास्तविक अनुप्रयोग के निर्धारण के चरण में न्यास के पंजीकरण या अनुमोदन को लागू करता है। अदालत के अनुसार, एस. ओ. एस. को प्रसंस्करण (या एनजी) प्रावधानों (अनुदान देने या अस्वीकार करने के चरण में लागू) और निगरानी प्रावधानों में विभाजित किया गया था, जिसमें न्यास की आय के निर्धारण पर विचार करना शामिल थाः

" 40. अब हम वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 की धारा 10 (23-सी) (vi) में प्रावधानों को शामिल करने के प्रभाव पर विचार करेंगे। धारा 10 (23-सी) (vi) धारा 10 (22) के अनुरूप है। इसके लिए

इस न्यायालय के निर्णय, जो धारा पर लागू होते हैं,

10 (22) धारा 10 (23-सी) (vi) पर समान रूप से लागू होगी। द.

धारा में प्रावधानों को शामिल करने के साथ समस्या उत्पन्न होती है

10 (23 - ग) (vi)। धारा 10 (23-सी) (vi) में प्रावधानों को शामिल करने के साथ अनुमोदन चाहने वाले आवेदक ने न केवल

यह दिखाने के लिए कि यह एक ऐसा संस्थान है जो केवल शिक्षा के लिए मौजूद है

उद्देश्य [जो धारा के तहत आवश्यकता भी थी]

इसे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कुछ शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा धारा 10 (22) का दुरुपयोग किया गया था। यह प्रावधान था अन्य प्रावधानों के साथ जोड़ा गया क्योंकि कोई [2022] 18 एस. सी. आर. नहीं था।

छूट प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी तंत्र। पहले परंतुक को शामिल करने के साथ, पी. ए. को जांच करने की आवश्यकता होती है

आवेदन। यह जाँच प्रक्रिया दूसरे परंतुक द्वारा निर्धारित की गई है।

***

42. बारहवें परंतुक के तहत, पी. ए. को उन मामलों की जांच करने की आवश्यकता होती है जहां एक आवेदक प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं करता है और इसे जमा करता है, लेकिन धारा के तहत पंजीकृत किसी भी ट्रस्ट या संस्थान को भुगतान करता है।

12 - एए या किसी कोष या न्यास या संस्थान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान और उस हद तक परंतुक

इसमें कहा गया है कि इस तरह के भुगतान को उन उद्देश्यों के लिए आय के अनुप्रयोग के रूप में नहीं माना जाएगा जिनके लिए ऐसा न्यास या निधि या

शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई है। बारहवें परंतुक में अंतर्निहित विचार पी. ए. को "उन उद्देश्यों के लिए आय का अनुप्रयोग जिसके लिए संस्थान स्थापित किया गया है" शब्दों के अर्थ के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसलिए, बारहवाँ परंतुक विस्तार का विषय है।

43. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए सबसे प्रासंगिक परंतुक तेरहवां परंतुक है। उस परंतुक के तहत, वे परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनके तहत पी. ए. को पहले दी गई मंजूरी को वापस लेने का अधिकार है। उस परंतुक के तहत, यदि पीए है

इस बात का समाधान कि न्यास, निधि, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, आदि ने तीसरे परंतुक के अनुसार अपनी आय का उपयोग नहीं किया है या यदि यह पाया जाता है कि ऐसी संस्था, न्यास या निधि, आदि ने तीसरे परंतुक के अनुसार अपने धन का निवेश/जमा नहीं किया है या कि ऐसी निधि या संस्था या न्यास आदि की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं या इसकी गतिविधियाँ उन शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन अनुमोदन दिया जाता है तो पीए को उसमें उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पहले दिए गए अनुमोदन को वापस लेने का अधिकार है। 44. धारा 10 (23-सी) (vi) के प्रावधानों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन शर्तों के बीच अंतर है -

शर्तें और उनका अनुपालन। सीमा शर्तें एक शैक्षणिक संस्थान का वास्तविक अस्तित्व और निर्धारित प्राधिकारी का अनुमोदन है जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v के संदर्भ में मानकीकृत रूप में आवेदन करना होता है।

द चीफ

आय कर 1 का अभिदाता [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पहला प्रावधान। यह केवल तभी है जब वास्तविक की पूर्व शर्त

शैक्षणिक संस्थान का अस्तित्व पूरा होता है कि प्रावधानों में आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रश्न

उठेंगे। हम आगे बढ़े विवाद में योग्यता पाते हैं

अपीलार्थी की ओर से जो तीसरे परंतुक में शामिल है

आवेदन जैसी स्थितियों/आवश्यकताओं की निगरानी,

निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में आय का संचय, जिसका अनुपालन उन घटनाओं पर निर्भर करता है जो प्रारंभिक अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख को नहीं हुई हैं।

45. परंतुक के साथ धारा को व्यवहार्य बनाने के लिए हम

आय का अनुप्रयोग/उपयोग, किए जाने वाले निवेशों का स्वरूप आदि को पी. ए. द्वारा शर्तों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। जिसके अधीन अनुमोदन दिया जा सकता है "।

9. इसी तरह, क्वींस एजुकेशन सोसाइटी (ऊपर) में निर्णय का भी हवाला दिया गया है, जिसमें इस अदालत ने माना है कि आय संयोग से अर्जित की गई है,

मुख्य गतिविधि के लिए आनुषंगिक, स्वयं कर-मुक्त संगठन के रूप में अनुमोदन या पंजीकरण के लिए किसी न्यास के समर्पण पर रोक नहीं लगाएगा।

10. वकील ने आगे कहा कि इसी तरह से, पिछले

अदितानार शैक्षिक संस्थान बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। आयकर का अतिरिक्त निशनर प्रासंगिक था। उसी ने देखा किः

" 8. हम कह सकते हैं कि धारा 10 (22) की भाषा

अधिनियम स्पष्ट और छूट की उपलब्धता है

यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए संस्था केवल संबंधित वर्ष के दौरान अस्तित्व में थी

शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं। इसके बाद

खर्च को पूरा करना, यदि कोई अधिशेष संयोग से परिणाम देता है

शिक्षा द्वारा कानूनी रूप से की जाने वाली गतिविधि से

संस्था, यह केवल के लिए मौजूद एक होने के लिए बंद नहीं होगा

शैक्षणिक उद्देश्य क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। निर्णायक या एसिड टेस्ट यह है कि क्या मामले के समग्र दृष्टिकोण पर, उद्देश्य लाभ कमाना है। मूल्यांकन या मूल्यांकन में उपरोक्त, किसी को भी अंतर को ध्यान में रखना चाहिए /

कोष, वस्तुओं और शक्तियों के बीच का अंतर

संबंधित इकाई "।

नार शैक्षिक संस्थान बनाम। अतिरिक्त आयकर आयुक्त, (1997) 3

46 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. यह प्रस्तुत किया गया था कि अमेरिकन होटल (उपरोक्त) में, धारा 10 (23 सी) (vi) में प्रावधानों को शामिल करने के साथ, अनुमोदन की मांग करने वाला एक न्यास

इसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए आवेदक से जानकारी। तीसरे परंतुक के तहत, पी. ए. के पास आवेदक की गतिविधियों की वास्तविकता का न्याय करने और इस बात पर विचार करने की शक्ति थी कि क्या वह अपनी आय को पूरी तरह से और विशेष रूप से उन उद्देश्यों पर लागू करता है जिनके लिए उसका गठन/स्थापना की गई थी। बारहवें परंतुक के तहत, पी. ए. को उन मामलों की जांच करनी थी जहां एक आवेदक ने प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं किया और इसे जमा किया, लेकिन धारा 12 ए. ए. के तहत पंजीकृत किसी भी ट्रस्ट या संस्था या किसी भी ट्रस्ट को भुगतान किया और उस हद तक परंतुक में कहा गया कि इस तरह के भुगतान को उन उद्देश्यों के लिए आय के आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा जिनके लिए ऐसा ट्रस्ट स्थापित किया गया था। यह उन उद्देश्यों के लिए आय के अनुप्रयोग शब्दों के अर्थ को निर्धारित करने के लिए पी. ए. का मार्गदर्शन करने के लिए था जिनके लिए संस्था की स्थापना की गई है "। तेरहवें परंतुक में उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके तहत पी. ए. को पहले दी गई मंजूरी को वापस लेने का अधिकार था, यदि प्राधिकरण संतुष्ट था कि ट्रस्ट ने तीसरे परंतुक के अनुसार अपनी आय का उपयोग नहीं किया था या यदि वह पाता है कि ट्रस्ट ने तीसरे परंतुक के अनुसार अपनी धनराशि का निवेश/जमा नहीं किया था या ऐसे ट्रस्ट की गतिविधियाँ आदि वास्तविक नहीं थीं या इसकी गतिविधियाँ उन शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही थीं जिनके अधीन अनुमोदन दिया गया था। ऐसे मामलों में, प्राधिकरण निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पहले दी गई मंजूरी को वापस ले सकता है।

12. यह आग्रह किया गया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अपीलार्थी आर. आर. एम. एजुकेशनल सोसाइटी एक शैक्षणिक संस्थान चला रही थी। द.

यह तथ्य कि अपीलार्थी के अन्य उद्देश्य थे, इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक ऐसी संस्था थी जो 'केवल' शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद थी। 'केवल' शब्द का जोर संस्था के लाभ कमाने के उद्देश्यों के लिए काम नहीं करने के उद्देश्य के संबंध में था; इसकी व्याख्या संस्था के उद्देश्यों के संबंध में नहीं की जानी चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि सीमा शर्तें एक शैक्षणिक संस्थान का वास्तविक अस्तित्व और मैसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v का अनुमोदन थी।

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पी. ए. जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को पहले परंतुक के संदर्भ में मानकीकृत रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना था। यदि शैक्षणिक संस्थान के वास्तविक अस्तित्व की निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है, तो अन्य प्रावधानों में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन का सवाल उत्पन्न होगा। वर्तमान स्तर पर, इस तरह के विचार प्रासंगिक नहीं थे।

13. वकील ने यह भी तर्क दिया कि धारा 10 (23)

(आई. आई. ए. बी.), (आई. आई. ए. डी.) और (आई. आई.) के अनुसार संस्थानों का अस्तित्व केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए न कि लाभ के लिए। 'अस्तित्व' शब्द संस्थान के उद्देश्य, लक्ष्य, उद्देश्य और मिशन को दर्शाता है। जहाँ संस्थान का उद्देश्य और उसके मिशन का परिभाषित चरित्र केवल शिक्षा और शिक्षा था, वहाँ परीक्षा पूरी हुई। कि संयोग से, एक अधिशेष के परिणामस्वरूप एक वर्ष हो गया था, अप्रासंगिक था और इसकी आवश्यक प्रकृति को नहीं बदलेगा

एक लाभ-उन्मुख संस्था में। ' अस्तित्व 'का अर्थ था इसके अस्तित्व का केंद्रीय कारणात्मक उद्देश्य, हालाँकि जिस तरह से यह अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है प्रासंगिकता ग्रहण कर सकते हैं। संस्थान उन चीज़ों के लिए मौजूद थे जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनका गठन किया गया था, और यदि वह पूरी तरह से और विशेष रूप से शिक्षा के उद्देश्य के लिए था, तो वैधानिक शर्त को पूरा किया गया था।

14. विद्वान वकील ने अंत में आग्रह किया कि अपीलकर्ताओं ने ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी और उनका प्रबंधन कर रहे थे जो लाभ नहीं कमा रहे थे। यह.

प्रस्तुत किया गया था कि आई. टी. अधिनियम ए. पी. चैरिटी अधिनियम, या किसी अन्य राज्य कानून के तहत पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित नहीं करता है। जब तक ट्रस्ट को किसी कानून (जैसे आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001) के तहत पंजीकृत किया गया था या यहां तक कि लाभ के लिए नहीं भी विधिवत रूप से शामिल किया गया था, तब तक आईटी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य आवश्यकता ने किसी भी राज्य के कानून के तहत आगे पंजीकरण या अनुमोदन के लिए मजबूर नहीं किया। यह दोहराया गया कि आई. टी. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और ए. पी. चैरिटी अधिनियम सहित अन्य अधिनियम संस्थानों को अनुमोदन के लाभ से वंचित करने का आधार नहीं हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों को अन्य अधिनियमों के प्रावधानों से जोड़ा या एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए। ए. पी. चैरिटी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और विभिन्न प्रावधानों को विनियमित किया गया

और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्ति की रक्षा की। की गतिविधियाँ

अपीलार्थी न्यासों और समितियों को ए. पी. चैरिटी अधिनियम सहित किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया था और उस अधिनियम के तहत गैर-पंजीकरण के परिणामस्वरूप उनकी गतिविधियों को बंद नहीं किया जा सकता था।

15. कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री डेज़ी हन्ना ने सुश्री प्रभा स्वामी की दलीलों का समर्थन किया।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक से अधिक उद्देश्यों का अस्तित्व किसी न्यास के छूट के दावे को बाधित या बाधित नहीं कर सकता है, जब तक कि यह 'मुख्य रूप से' शिक्षा, या शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को जारी रखता है। जोर शिक्षा के अलावा अन्य वस्तुओं की अनुपस्थिति या अस्तित्व पर नहीं था, बल्कि, लाभ के खिलाफ नकारात्मक जनादेश, उस लाभ में एक ट्रस्ट को प्रेरित नहीं कर सकता था। कार्य कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिशेष या लाभ के उपयोग का तरीका और अनुमोदन या छूट देते समय कर अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तें, धारा 10 (23 सी) के तहत छूट की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करने के चरण में अप्रासंगिक थीं। वे विचार केवल तभी मान्य थे जब कर अधिकारियों ने कानून के साथ इसके अनुपालन की जांच करने के लिए मूल्यांकन के दौरान न्यास के कामकाज की जांच की।

16. वकील ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस बनाम के निर्णय पर भरोसा किया। आय कर आयुक्त 3, जहाँ अभिव्यक्ति की व्याख्या ' केवल 'शिक्षा के उद्देश्य के लिए' का अर्थ है कि किसी संस्थान का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए न कि लाभ कमाना। 'विद्यमान' शब्द का अर्थ 'होना' माना जाता था।

17. यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय का तर्क बरकरार है

अपीलार्थी के मामलों की इस आधार पर सीमा तक अस्वीकृति कि अपीलार्थी के कई उद्देश्य थे, जिनमें से केवल कुछ 'शैक्षिक' थे जबकि अन्य नहीं थे, न्यासियों को आय या संपत्ति को किसी भी उद्देश्य पर लागू करने के लिए विवेकाधिकार के साथ छोड़ना गलत था। पी. ए. को इसमें कोई संदेह नहीं था

अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से संतुष्ट किया गया कि आवेदक मौजूद था और एक धर्मार्थ गतिविधि में शामिल था, जिसके लिए संस्था के उद्देश्यों की जांच की जानी थी। हालाँकि, यदि एक से अधिक वस्तुएँ मौजूद थीं, और सभी वस्तुएँ अनिवार्य रूप से धर्मार्थ प्रकृति की थीं, तो जो देखने की आवश्यकता थी वह वास्तविक कार्यप्रणाली थी। केवल संभावना है कि न्यासी

किसी भी उद्देश्य के संबंध में अधिशेष या आय को लागू करने का विवेकाधिकार था, और न केवल शिक्षा, पर्याप्त नहीं थी।

18. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (इसके बाद, "एएसजी") राजस्व की ओर से पेश हुए। उन्होंने बताया कि आई. टी. अधिनियम की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2009 तक, धारा 2 (15) के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों की परिभाषा में केवल चार गतिविधियाँ शामिल थीं। 2009 के संशोधन और बाद में 2015 में-अन्य उद्देश्यों, जैसे जलक्षेत्रों, जंगलों और वन्यजीवों, स्मारकों और कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण, और योग को इस प्रकार शामिल किया गया थाः

3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बनाम। आयकर आयुक्त, (2001) 3 एससीसी359।

मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रकृति में धर्मार्थ मानी जाने वाली गतिविधियाँ। परिणाम यह हुआ कि एक बार एक गतिविधि

दान के रूप में पहचाने जाने पर, उस इकाई या संस्था की आय को धारा 10 के आधार पर कराधान के दायरे से बाहर रखा गया था। इसी तरह, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से आय के लिए कटौती धारा 11 के तहत प्रदान की गई थी।

19. यह आरोप लगाया गया था कि 1961 में आई. टी. अधिनियम की स्थापना के बाद से 31 मार्च 1975 तक शिक्षा से होने वाली आय को धारा 10 के तहत शीर्ष के रूप में बाहर रखा गया था। धारा 10 (22) द्वारा, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थानों की आय, जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, और लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं है, को कर देयता से बाहर रखा गया था। एक समान प्रावधान

अस्पतालों के लिए धारा 10 (22 ए) द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह इंगित किया गया कि इस परिभाषा के दो प्रमुख तत्व हैं जिन्हें कराधान के दायरे से बाहर रखा जा सकता है-(i) संस्थान का अस्तित्व केवल शिक्षा के उद्देश्य से होना चाहिए और (ii) इसका अस्तित्व लाभ के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए।

20. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा, धारा 10 (23 सी) को पहली बार लागू किया गया था, और उप के आधार पर

खंड (iv) और (v), धर्मार्थ उद्देश्यों और न्यासों के लिए स्थापित अन्य निधियों और संस्थानों, जिसमें कोई अन्य कानूनी दायित्व या संस्था जो केवल सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए है, को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इसी तरह विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के उद्देश्यों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान किए गए थे। प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 ने धारा 10 (23 सी) (iv) और (v) को हटा दिया। हालाँकि, इन खंडों को प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1 अप्रैल 1990 से बहाल किया गया था। संसद ने धारा 10 (23 सी) में छह प्रावधान भी पेश किए, जो मोटे तौर पर उन विचारों से संबंधित थे जो ऐसी संस्थाओं की आय को छूट देने वाली अधिसूचना जारी करने से पहले केंद्र सरकार के साथ विचार करने के लिए थे। छह परंतुकों में निहित शर्तें संस्था की गतिविधियों की वास्तविकता से संबंधित थीं-आय का उपयोग या भविष्य में इसके आवेदन के लिए इसका संचय पूरी तरह से और विशेष रूप से उन उद्देश्यों के लिए होना चाहिए जिनके लिए संस्था की स्थापना की गई थी, और लाभ और लाभ को अनुमति देना बहिष्करण के उद्देश्य के लिए, बशर्ते कि व्यवसाय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और अलग-अलग पुस्तकों के रखरखाव के लिए आकस्मिक हो।

21. यह प्रस्तुत किया गया था कि वित्त अधिनियम 1998 द्वारा, जो 1 अप्रैल 1999 को लागू हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रभावित हुए थे। अनुभाग। ये थे कि धारा 10 (23 सी) में उपखंड (आई. आई. ए. बी.) (आई. आई. ए. सी.) (आई. आई. ए. डी.) और (आई. आई. ए. ई.) जोड़े गए। इसके अलावा, दो उपखंड अर्थात् (vi)

और (के माध्यम से) जोड़े गए। उपखंड (vi) शिक्षा से संबंधित है। उसी समय, संसद ने धारा 10 (22) और धारा 10 (22ए) को हटा दिया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ये संशोधन महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने धारा 10 (23सी) के रंग और रूपरेखा को बदल दिया। सबसे पहले, केवल या सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्थानों को एक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था। दूसरा, जिन संस्थानों की कुल वार्षिक प्राप्तियां निर्धारित सीमा से अधिक नहीं थीं, उन्हें एक अन्य श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था। तीसरा, पूरे देश या किसी भी राज्य में उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, पी. ए. द्वारा अनुमोदित संस्थानों को एक श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था। चौथा, संस्थानों को केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, एक श्रेणी (यानी, धारा 10 (23सी) (vi) और (के माध्यम से) के तहत वर्गीकृत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जोड़े गए कई परंतुकों में से, इन अपीलों के विषय पर असर डालने वाले सबसे महत्वपूर्ण परंतुक पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, तेरहवें, चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें परंतुक थे।

22. ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि 'शिक्षा' शब्द को संविधान के कई प्रावधानों में स्थान दिया जाए। सटीक दायरा क्या था

इस अदालत द्वारा कई मौकों पर अभिव्यक्ति की जांच की गई थी। ए. एस. जी. ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के तहत 'शिक्षा' का अर्थ प्राथमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा है और इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। 'शैक्षणिक संस्थान' शब्द का अर्थ उन संस्थानों से था जो स्कूली शिक्षा के औपचारिक अर्थ में शिक्षा प्रदान करते थे। यह भी विस्तार से बताया गया कि राष्ट्र की जनसांख्यिकी और भौगोलिक प्रसार के साथ-साथ देश के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सभी स्तरों पर मुफ्त या सब्सिडी वाली सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना राज्य की आर्थिक क्षमता से परे था। इसलिए, निजी शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ा। उस ढांचे के भीतर, शिक्षा प्रदान करने में धर्मार्थ संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रमुख थी। शिक्षा प्रदान करना हमेशा दान का प्रमुख माना जाता रहा है। दान से संबंधित कानून के इतिहास का पता लगाते हुए, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि इंग्लैंड में भी, धर्मार्थ उद्देश्यों में शिक्षा प्रदान करना शामिल है। 10 1 0 यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न लेखों में

' टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, 2002 (8) एस. सी. सी. 481 10 आयकर के विशेष आयुक्त बनाम पेम्सेल [1891] ए. सी. 531। लॉर्ड मैकनाउटन के अनुसार, "चैरिटी" अपने कानूनी अर्थों में चार प्रमुख प्रभागों में शामिल हैः गरीबी से राहत के लिए न्यास; शिक्षा की उन्नति के लिए न्यास; धर्म की उन्नति के लिए न्यास; और समुदाय के लिए लाभकारी अन्य उद्देश्यों के लिए न्यास, जो किसी भी पूर्ववर्ती शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

संविधान, अर्थात् अनुच्छेद 21-ए, अनुच्छेद 28 से 30, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45-46 और अनुच्छेद 51 (के) के साथ-साथ सातवीं अनुसूची की कई प्रविष्टियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा का अर्थ मुख्यधारा का पाठ्यक्रम-आधारित है। शिक्षा, न कि शिक्षा, जैसा कि व्यापक रूप से या आम तौर पर समझा जाता था। उन्होंने इस पहलू के महत्व पर जोर दिया क्योंकि यह तय करते समय कि क्या शैक्षणिक संस्थानों के लिए आई. टी. अधिनियम के तहत कर छूट दी जा सकती है, 'शिक्षा' शब्द को एक धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में विस्तारित अर्थ के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह संवैधानिक अर्थों में था, और आई. टी. अधिनियम के तहत, पाठ्यक्रम-आधारित स्कूली शिक्षा के तहत, शिक्षा को आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत प्रमुख के रूप में समझना था।

धर्मार्थ उद्देश्य।

23. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में अनुपात ने स्थापित किया था कि शिक्षा को एक धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना जाता था। इसे लाभ के उद्देश्य से संचालित व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं माना जा सकता था। कुछ संदेह हो सकता है कि क्या

शिक्षा को एक पेशे के रूप में माना जाना था; फिर भी, इसे 'व्यवसाय' शब्द द्वारा कवर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस संदर्भ में अदालत ने फैसला सुनाया कि 'व्यवसाय' एक व्यक्ति की आजीविका के साधन के रूप में या जीवन में एक मिशन के रूप में की जाने वाली गतिविधि होगी। वकील ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपरोक्त) के फैसले के कुछ हिस्सों की ओर भी इशारा किया ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि अनुच्छेद 29 और 30 के तहत प्रदत्त अधिकारों को अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समानता सुनिश्चित करने की गारंटी के रूप में माना जाना चाहिए।

धर्म या भाषा पर।

24. यह प्रस्तुत किया गया था कि इस सिद्धांत के इस प्रतिपादन को देखते हुए कि शिक्षा एक व्यवसाय था और अपने आप में धर्मार्थ था, यह था वाणिज्य या व्यवसाय के विरोधी। दूसरे शब्दों में, शिक्षा को, संविधान या आई. टी. अधिनियम के तहत, एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता था। इस प्रकार, शिक्षा के किसी भी व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप कर छूट के लाभ का नुकसान होगा, जिसे एक संस्थान अन्यथा एक धर्मार्थ न्यास के रूप में वैध रूप से दावा करने का हकदार होगा। ए. एस. जी. ने पी. ए. इनामदार बनाम राज्य के मामले में बाद के सात न्यायाधीशों के फैसले पर भी भरोसा किया।

महाराष्ट्र 1 1 जिसने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में तर्क का पालन किया था।

25. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि इस अदालत ने आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (22) के संदर्भ में अदितानार (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया-कि

प्रावधान स्पष्ट था और हर साल कर अधिकारियों को यह समझना पड़ता था

[11]P.A। इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 6 एससीसी 537।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या संस्थान केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में था और नहीं

व्यय को पूरा करने के बाद लाभ के उद्देश्य के लिए, और यह कि यदि कोई अधिशेष संयोग से शैक्षणिक संस्थान द्वारा की जाने वाली वैध गतिविधियों से उत्पन्न होता है, तो यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 'केवल' होना बंद नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्णायक परीक्षा या लिटमस टेस्ट यह था कि क्या मामले के समग्र दृष्टिकोण पर, संस्थान का उद्देश्य लाभ कमाना था या शिक्षा प्रदान करना था।

26. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फैसले के बगल में मुड़ना

प्रेस (ऊपर) विद्वान ए. एस. जी. ने बताया कि बहुमत के फैसले ने मान्यता दी थी कि 'शब्द' केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है। और लाभ के प्रयोजनों के लिए 'योग्य' विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान के लिए नहीं। यह प्रस्तुत किया गया था कि बहुमत का निर्णय

27. एएसजी ने यह भी बताया कि अमेरिकन होटल (उपरोक्त) में इस अदालत का निर्णय विचित्र तथ्यों के संदर्भ में था। द. संगठन यू. एस. ए. में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन था और उसे वहाँ एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कर छूट दी गई थी। भारत में इसका एक शाखा कार्यालय था जो मुख्य रूप से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ विभिन्न समझौतों के तहत अपने दायित्वों का पालन करता था। उस शाखा ने भारतीय मिशनों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए भारत में एक केंद्र बिंदु प्रदान किया। शाखा ने आतिथ्य के क्षेत्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को लेने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों/व्यक्तियों से डेटा एकत्र किया और जिन्होंने आवश्यक पाठ्यक्रम सामग्री के लिए शुल्क का भुगतान किया, जिसे बाद में यू. एस. ए. को भेज दिया गया। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (उपरोक्त) की तरह, निर्धारिती ने भारत में कोई भी शैक्षिक गतिविधि नहीं की। यह एक संस्था के लिए एक समर्थन प्रतिष्ठान की प्रकृति में था जिसे यू. एस. ए. में धर्मार्थ दर्जा दिया गया था। ए. एस. जी ने तर्क दिया कि अमेरिकन होटल

(उपर्युक्त) ने 'प्रमुख वस्तु' (जिसे 'प्रमुख/प्राथमिक/मुख्य' वस्तु के रूप में भी जाना जाता है) का एक गलत परीक्षण प्रस्तावित किया, हालांकि क़ानून ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि संस्था का अस्तित्व इस उद्देश्य के लिए 'पूरी तरह से' होना चाहिए।

शिक्षा से। यह बताया गया कि प्रमुख वस्तु के परीक्षण का उपयोग आयकर के अतिरिक्त आयुक्त बनाम सूरत आर्ट सिल्क में किया गया था

क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन "जो एक मामला नहीं था

12 अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, (1980) 2 एससीसी 31.

मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

शैक्षणिक संस्थान, बल्कि दान के साथ जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "यह पता लगाने के लिए कि क्या संस्थान को लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाता है। या नहीं यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि क्या

आय का संतुलन पूरी तरह से और विशेष रूप से उन उद्देश्यों पर लागू होता है जिनके लिए आवेदक स्थापित है। 13

28. राजस्व ने यह भी आग्रह किया कि अमेरिकन होटल (उपरोक्त) में निर्णय यह मानते हुए गलत था कि धारा 10 (23 सी) के विभिन्न प्रावधानों में निर्धारित निगरानी शर्तों में शर्तें अलग थीं।

उन शर्तों का अनुपालन, और उस अनुपालन या गैर-अनुपालन पर केवल मूल्यांकन चरण में विचार किया जाना था।

29. यह प्रस्तुत किया गया था कि रानी की शिक्षा में निर्णय

समाज (ऊपर) को भी बनाए नहीं रखा जा सका, क्योंकि यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रतिपादित और लागू किए गए 'प्रमुख वस्तु' परीक्षण पर निर्भर था। होटल (ऊपर)। विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि क्वींस एजुकेशन सोसाइटी (उपरोक्त) में अदालत का तर्क, जिसमें 'प्रमुख उद्देश्य' परीक्षण लागू किया गया था, और 'अधिशेष' बनाने और लाभ के लिए कोई गतिविधि करने के बीच अंतर किया गया था, जिसमें पूर्व ने किसी संस्थान को कर छूट का दावा करने से नहीं रोका था- गलत था।

प्रासंगिक प्रावधान

30. संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (15) 'धर्मार्थ उद्देश्य' को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

" (15) " धर्मार्थ उद्देश्य "में गरीबों की राहत शामिल है,

शिक्षा, योग, चिकित्सा राहत, पर्यावरण का संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्यजीव सहित) और संरक्षण

कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का

ब्याज, और सामान्य के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

सार्वजनिक उपयोगः

बशर्ते कि सामान्य के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

सार्वजनिक उपयोगिता एक धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा, यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति की कोई गतिविधि, या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि, उपकर या शुल्क या किसी अन्य विचार के लिए, उपयोग की प्रकृति या उपयोग की प्रकृति की परवाह किए बिना शामिल है।

ऐसी गतिविधि से आय का अनुप्रयोग या प्रतिधारण,

जब तक कि

13 सूरत आर्ट पर निर्भर अमेरिकी होटल, पैरा 37।

((i) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति को वास्तविक रूप से पूरा करने के क्रम में की जाती है; और

((ii) ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से प्राप्त कुल प्राप्तियाँ।

पिछले वर्ष के दौरान, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करने वाले न्यास या संस्थान की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक न हो। 31. आई. टी. अधिनियम की धारा 10 आय के कुछ वर्गों को कराधान के क्षेत्र से छूट देती है। धारा 10 (23 सी), जो इस मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

" 10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं की जाएगी।

(23(ग) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई आय

((i) ((ग) कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है, और जिसे पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

सरकार; या

*

**

स्पष्टीकरण। उपखंड (आई. आई. आई. ए. बी.) और (आई. आई. आई. सी.) के प्रयोजनों के लिए, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या उसमें निर्दिष्ट अन्य संस्थान को सरकार द्वारा किसी पिछले वर्ष के लिए पर्याप्त रूप से वित्तपोषित माना जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य संस्थान को सरकार का अनुदान कुल प्राप्तियों के ऐसे प्रतिशत से अधिक है, जिसमें ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य संस्थान का कोई स्वैच्छिक योगदान भी शामिल है, जो प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित किया जाए।

वर्ष; या

((ग) कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है।

यदि ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान की कुल वार्षिक प्राप्तियाँ वार्षिक रसीद की राशि से अधिक नहीं हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं या एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

द चीफ

आय कर 1 का अभिदाता [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((iv) धर्मार्थ कार्यों के लिए स्थापित कोई अन्य कोष या संस्था।

जिन उद्देश्यों को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सके,

निधि या संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और

((v) कोई न्यास (किसी अन्य कानूनी दायित्व सहित) या पूरी तरह से सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए या पूरी तरह से

सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य, जो हो सकते हैं

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित,

जिस तरह से न्यास या संस्था के कार्य होते हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासित और पर्यवेक्षित कि आय

उसमें उपार्जित राशि को उसके उद्देश्यों के लिए उचित रूप से लागू किया जाता है। ((vi) कोई विश्वविद्यालय या अन्य मौजूदा शैक्षणिक संस्थान।

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं, उपखंड (iiiiab) या उपखंड में उल्लिखित लोगों के अलावा

(iii.) और जिसे निर्धारित द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

प्राधिकरण; या।

पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, तेरहवें, चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें परंतुक (2012 तक) धारा 10 (23 सी) के लिए प्रासंगिक हैं।

इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

नीतिवचन 1:

बशर्ते कि निधि या न्यास या संस्था [या कोई

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल

उपखंड (iv) या उपखंड (v) [या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट अन्य चिकित्सा संस्थान]

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा और

उपखंड के तहत छूट देने या उसे जारी रखने के उद्देश्य से निर्धारित प्राधिकारी को ((iv) या उपखंड (v) [या उपखंड (vi) या उपखंड

(के माध्यम से)]

नीतिवचन 2:

[बशर्ते कि निर्धारित प्राधिकारी, पहले

किसी कोष या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय को मंजूरी देना।

या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य

उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के तहत चिकित्सा संस्थान ऐसे [2022] 18 एस. सी. आर. की मांग कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दस्तावेज़ (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों सहित) या

कोष या न्यास या संस्था या किसी अन्य से जानकारी

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल

या अन्य चिकित्सा संस्थान, जैसा भी मामला हो, जो वास्तविकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक समझता है।

ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी की गतिविधियों का

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल

या अन्य चिकित्सा संस्थान, जैसा भी मामला हो, और

विहित प्राधिकारी ऐसी पूछताछ भी कर सकता है जैसे कि

इस संबंध में आवश्यक समझते हैं:]

दृश्य 3:

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल उपखंड (iv) में निर्दिष्ट अन्य चिकित्सा संस्थान।

या उपखंड (v) [या उपखंड (vi) या उपखंड (वाया)] -

[(क) अपनी आय को लागू करता है, या इसके लिए जमा करता है

पूरी तरह से और विशेष रूप से उद्देश्यों के लिए आवेदन

जिसे यह स्थापित किया गया है और ऐसे मामले में जहां इससे अधिक

इसकी आय का पंद्रह प्रतिशत उस दिन या उसके बाद जमा होता है।

अप्रैल, 2002 का पहला दिन, की अवधि

पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि का संचय

उसकी आय का किसी भी मामले में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा; और]

[(ख) इसके अलावा अपनी निधियों का निवेश या जमा नहीं करता है।

((i) निधि, न्यास या संस्था द्वारा धारित कोई संपत्ति [या]

कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई

अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] जहाँ ऐसी परिसंपत्तियाँ हों।

निधि, न्यास या कोष के कोष का हिस्सा

संस्थान [या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान]

संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान] 1 जून, 1973 को;

[((i) कोई भी परिसंपत्ति, जो किसी सार्वजनिक कंपनी के इक्विटी शेयर हैं,

किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित

परिसंपत्तियाँ किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा के कोष का हिस्सा होती हैं। 1 जून, 1998 को संस्था;] न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

द चीफआय कर का आयोजक 1 [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ख) कोष द्वारा अर्जित कोई संपत्ति (जो किसी कंपनी या निगम द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए डिबेंचर हैं),

न्यास या संस्थान [या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान

निधि, न्यास या न्यास को आबंटित बोनस शेयरों के माध्यम से संस्थान [या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान]

संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान]

(iv) स्वैच्छिक योगदान प्राप्त और बनाए रखा जाता है।

आभूषण, फर्नीचर या किसी अन्य वस्तु के रूप में

जैसा कि बोर्ड, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

निर्दिष्ट करें,

आर पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि में अन्यथा

y उप-अनुभाग में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रपत्र या विधियाँ

) धारा 11 "।

दृश्य 7:

" बशर्ते कि उपखंड (iv) में कुछ भी निहित न हो। या उपखंड (v) [या उपखंड (vi) या उपखंड (वाया)]

निधि या न्यास की किसी भी आय के संबंध में लागू होगा।

या संस्थान [या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान] संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान],

व्यवसाय के लाभ और लाभ होने के नाते, जब तक कि व्यवसाय

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक और अलग

इसके द्वारा इस संबंध में लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है - व्यवसायः

अध्याय 13:

" बशर्ते कि जहाँ निधि या संस्था निर्दिष्ट की गई हो

उपखंड (iv) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था को

उपखंड (v) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है [या]

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, जैसा भी मामला हो सकता है

हो,] या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान

उपखंड (वाया) में निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थान है - निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और बाद में कि

सरकार या निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि-[2022] 18 एस. सी. आर.

((i) ऐसा कोष या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या

अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान नहीं है

(क) अपनी आय को तीसरे परंतुक के खंड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू किया; या

(बी) तीसरे के खंड (बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार अपनी निधियों का निवेश या जमा किया।

परंतुक; या

((ख) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी अन्य संस्था की गतिविधियाँ। विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान

(ए) वास्तविक नहीं हैं; या (बी) सभी के अनुसार नहीं किया जा रहा है या

कोई भी शर्त जिसके अधीन इसे अधिसूचित किया गया था

या स्वीकृत,

वह किसी भी समय संबंधित को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर देने के बाद

निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य

शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान

संस्थान, अधिसूचना को रद्द करता है या, आदेश द्वारा, अनुमोदन को वापस लेता है, जैसा भी मामला हो, और अधिसूचना को रद्द करने या अनुमोदन को वापस लेने के आदेश की एक प्रति को आगे भेजता है

ऐसा कोष या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य

शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान

संस्थान और निर्धारण अधिकारी को "।

नीतिवचन 14:

" बशर्ते कि यदि निधि या न्यास या संस्थान या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान, जो पहले परंतुक में निर्दिष्ट है, छूट देने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए 1 जून, 2006 को या उसके बाद आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन 1 [उस पर किया जाएगा।

या संबंधित सितंबर के 30 वें दिन से पहले निर्धारण वर्ष] जिसमें से छूट मांगी गई है।

नीतिवचन 15:

" बशर्ते कि कोई अनाम दान निर्दिष्ट किया गया हो

धारा 115ख. पू. में जिसके अनुसार कर देय है। उक्त धारा के प्रावधानों के साथ इसमें शामिल किया जाएगा

कुल आय "।

नीतिवचन 16:

बशर्ते कि सभी लंबित आवेदन, जिन पर नहीं अधिसूचना उपखंड (iv) या उपखंड के तहत जारी की गई है।

खंड (v) 1 जून, 2007 से पहले रहेगा।

उस दिन निर्धारित प्राधिकारी को हस्तांतरित किया गया और

निर्धारित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों के साथ आगे बढ़ सकता है

उन उपखंडों के तहत जिस स्तर पर वे थे उस दिन "।

विश्लेषण और निष्कर्ष

32. शिक्षा मन को उन्नत करती है और भावनाओं को परिष्कृत करती है।

हर इंसान। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को सही विकल्प चुनने के लिए प्रशिक्षित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मनुष्यों को आदतों और आदतों से मुक्त करना है। पूर्वकल्पित दृष्टिकोण 1 4. इसका उपयोग मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके, शिक्षा हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। शायद ही कोई

ऐसी पीढ़ी जिसने शिक्षा के गुणों का गुणगान नहीं किया है और ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की है।

33. शिक्षा का विषय विशाल है, यहाँ तक कि उदात्त भी। फिर भी, यह अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ नहीं है जो इस मामले में शामिल है। के रूप में

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में आयोजित किया गया था, शैक्षिक संरचित शिक्षा के रूप में शब्द के संकीर्ण अर्थ में शिक्षा का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 21-ए, अनुच्छेद 29-30 और अनुच्छेद 45-46 में है। आई. टी. अधिनियम के संदर्भ में 'शिक्षा' क्या है, यह लोक शिक्षा ट्रस्ट बनाम में समझाया गया था। आय कर आयुक्त 1 5 में

निम्नलिखित शर्तें -

" 5. जिस अर्थ में "शिक्षा" शब्द का उपयोग किया गया है

धारा 2 (15) में दिया गया निर्देश, स्कूली शिक्षा या प्रशिक्षण है।

1 4 रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जो अपने अविस्मरणीय छंदों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसे स्थान के लिए तरसती है जहाँ, "ज्ञान मुक्त है", और जहाँ, "दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में विभाजित नहीं हुई है, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हैं", और "जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा मृत आदत की नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता नहीं खोई है"।

1 5 15 लोक शिक्षा न्यास बनाम। आयकर आयुक्त, (1976) 1 एस. सी. सी. 254।

जीवन के कार्य की तैयारी में युवाओं के लिए। यह भी।

यह शैक्षिक शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को दर्शाता है जो एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। "शिक्षा" शब्द का उपयोग उस व्यापक और विस्तारित अर्थ में नहीं किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक

आगे ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा है।

इस व्यापक और विस्तारित अर्थ के अनुसार, यात्रा है

शिक्षा, क्योंकि यात्रा के परिणामस्वरूप आप ताज़ा प्राप्त करते हैं

ज्ञान। इसी तरह, यदि आप समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, कला दीर्घाओं, संग्रहालयों और चिड़ियाघरों में जाते हैं, तो आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यह सब एक तरह से जीवन के महान स्कूल में शिक्षा है। लेकिन यह वह अर्थ नहीं है जिसमें "शिक्षा" शब्द का उपयोग धारा 2 के खंड (15) में किया गया है। उस खंड में शिक्षा का क्या अर्थ है प्रशिक्षण और ज्ञान, कौशल, मन और चरित्र के विकास की प्रक्रिया।

औपचारिक शिक्षा द्वारा छात्र। '

इस प्रकार, शिक्षा अर्थात औपचारिक शैक्षिक शिक्षा प्रदान करना, वह है जो आई. टी. अधिनियम के तहत "धर्मार्थ" उद्देश्यों के शीर्ष के तहत प्रदान किया गया है।

धारा 2 (15)।

34. जिन मुद्दों को इन मामलों में हल करने की आवश्यकता होती है, वे सबसे पहले धारा 10 (23 सी) (vi) में 'केवल' शब्द का सही अर्थ है जो

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की आय में छूट केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और इसके उद्देश्यों के लिए नहीं

लाभ "। दूसरा, किसी भी लाभ, अधिशेष या लाभ पर विचार करने का उचित तरीका, जब ऐसी प्राप्तियां किसी शैक्षणिक संस्थान को प्राप्त होती हैं, यानी, मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए उनका उपचार, और तीसरा, इस आधार पर छूट के लिए किसी दिए गए संस्थान के दावे के अलावा कि यह वास्तव में कानून में शिक्षा प्रदान करने के लिए मौजूद है, क्या संबंधित कर अधिकारियों को किसी अन्य शर्तों की संतुष्टि की आवश्यकता है, जैसे कि पंजीकरण

स्थानीय या राज्य कानूनों के तहत धर्मार्थ संस्थान।

I. लाभ के लिए 'केवल' मौजूद संस्थान

35. राजस्व का तर्क है कि 'केवल' अभिव्यक्ति को इसका स्पष्ट और व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है कि हालांकि दान के कई प्रमुख और कई प्रकार के संगठन हैं।

जो आई. टी. अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कानून इस बात को रेखांकित करता है कि जो शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा होना चाहिए, और कोई अन्य नहीं। दूसरी ओर, निर्धारिती-अपीलकर्ताओं का तर्क है कि 'केवल' अभिव्यक्ति को कभी भी इसके शाब्दिक अर्थों में नहीं समझा गया है, लेकिन इस अदालत ने लगातार यह माना है कि 'एम/एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी' v.

इसका अर्थ है कि छूट का दावा करने वाले संस्थान के अन्य उद्देश्यों के बीच प्रमुख उद्देश्य शिक्षा होनी चाहिए।

36. लोक शिक्षा ट्रस्ट (ऊपर) में निर्णय इस पृष्ठभूमि में दिया गया था कि क्या एक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, जिसे इसे प्रकाशित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, और कन्नड़ भाषी जनता को शिक्षित करना, को शिक्षा का उद्देश्य कहा जा सकता है। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि शिक्षा का क्या अर्थ है - अर्थात। , अभिव्यक्ति के व्यापक अर्थ के बजाय संरचित शिक्षा के अपने शैक्षिक अर्थ में।

37. आईटी अधिनियम के आने से पहले, पुराने आयकर अधिनियम, 1922 के तहत, धर्मार्थ उद्देश्यों में- वर्तमान की तरह-चार व्यापक प्रमुख शामिल थे। अंतिम शीर्ष सामान्य वस्तुओं की उन्नति थी।

सार्वजनिक उपयोगिता। अदालत को 1961 के आई. टी. अधिनियम द्वारा लाई गई बदली हुई परिभाषा से निपटना पड़ा, जिसमें प्रतिबंधात्मक शर्तें थीं, जिसमें सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को पूरा करने के दौरान लाभ कमाना प्रतिबंधित था। इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लाभ कमाने के खिलाफ निषेध केवल उन न्यासों पर लागू होता है जिनका उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति करना था। इसलिए लाभ कमाने पर प्रतिबंध उन न्यासों पर लागू नहीं होता था जो गरीबों के लिए शिक्षा, चिकित्सा राहत या राहत को आगे बढ़ाने के लिए होते थे।

38. इस अदालत ने बाद के फैसलों में, विशेष रूप से भारतीय वाणिज्य मंडल बनाम आयकर आयुक्त के मामले में, सिद्धांत रूप में इसका पालन किया,

लोक शिक्षा न्यास (ऊपर) में अनुपात और उस लाभ-अर्जन को माना सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित न्यासों के मामले में यह कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। मामला तब गंभीर हो गया जब इस अदालत को सूरत अनुच्छेद (उपरोक्त) में पिछले कानून की समीक्षा करने का अवसर मिला। सूरत आर्ट (सुप्रा) में निर्धारिती रेशम बुनकरों के हितों को आगे बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक व्यापार संवर्धन संघ था। इसके कुछ उद्देश्यों में संघ को सदस्यों द्वारा निर्मित निर्यात लाइसेंस और निर्यात कपड़े प्राप्त करने की अनुमति देना, "सभी प्रकार के कपड़े और अन्य वस्तुओं और कपड़ों को खरीदना और बेचना और सौदा करना शामिल था।

और सदस्यों की ओर से "। इस अदालत की राय थी कि मुख्य उद्देश्य, या निर्णय के सटीक शब्दों में, निर्धारिती का प्रमुख उद्देश्य या उद्देश्य रेशम के हितों को आगे बढ़ाना था। निर्माता। अन्य वस्तुएँ केवल आकस्मिक थीं। वह इसमें था।

1 6 16 देखें धर्म दीप्ति बनाम। आयकर आयुक्त (1978) 3 एससीसी449। 1 7 भारतीय वाणिज्य मंडल बनाम आयकर आयुक्त, (1976) 1 एस. सी. सी. 324।

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी न्यास या अन्य संस्था के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में लाभ कमाना अपने आप में बाध्यकारी नहीं है। विशेष रूप से यह माना गया था किः

प्राथमिक या प्रमुख उद्देश्य को रोक नहीं पाएगा न्यास या संस्था एक वैध दान होने सेः वीडियो

आयकर आयुक्त मद्रास बनाम आंध्र चैंबर ऑफ

वाणिज्य ((1965) 1 एससीआर 565)। इसलिए, जिस परीक्षण को लागू किया जाना है, वह यह है कि क्या वह वस्तु जिसे गैर कहा जाता है धर्मार्थ न्यास या संस्था का एक मुख्य या प्राथमिक उद्देश्य है या यह प्रमुख या प्राथमिक के लिए सहायक या आनुषंगिक है।

उद्देश्य जो धर्मार्थ हो "। अदालत ने तब निम्नलिखित शब्दों में परिभाषा की व्याख्या कीः

" 10 ए। यह एक सादे प्राकृतिक निर्माण पर स्पष्ट है

विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा यह है कि दस महत्वपूर्ण शब्द "लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखने से संबंधित नहीं हैं"

"सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य" के साथ और इसके साथ नहीं

" उन्नति "। यह सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य है जिसमें लाभ के लिए किसी भी गतिविधि को जारी रखना शामिल नहीं होना चाहिए न कि इसकी उन्नति या प्राप्ति। इन अंतिम दस शब्दों से जो बाधित होता है, वह है लाभ के लिए गतिविधि को सामान्य उपयोगिता के उद्देश्य से जोड़ना, न कि इसे उपलब्धि से जोड़ना।

या वस्तु को बाहर निकालना। यह आवश्यक नहीं है कि

उद्देश्य की प्राप्ति या उद्देश्य को पूरा करने के साधनों में लाभ के लिए कोई गतिविधि शामिल नहीं होनी चाहिए। यह नए जोड़े गए शब्दों का जनादेश नहीं है। इन शब्दों की क्या आवश्यकता है

कि वस्तु में किसी भी चीज़ को ले जाना शामिल नहीं होना चाहिए

लाभ के लिए गतिविधि। जोर सामान्य के उद्देश्य पर है

सार्वजनिक उपयोगिता और न कि इसकी उपलब्धि या प्राप्ति पर।

केरल और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के निर्णय

आयकर आयुक्त बनाम कोच्चि चैंबर ऑफ

वाणिज्य और उद्योग और आंध्र प्रदेश राज्य सड़क

परिवहन निगम बनाम हमारे राज्य में आयकर आयुक्त

राय अंतिम दस की सही व्याख्या निर्धारित करती है।

शब्द, धारा 2 खंड (15) में। इन अंतिम दस शब्दों का सही अर्थ यह है कि जब किसी न्यास या संस्थान का उद्देश्य मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी उद्देश्य की उन्नति है, यह है

वह उद्देश्य जो सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का है न कि इसकी उपलब्धि का

या ऐसा करना जिसमें इसे जारी रखना शामिल नहीं होना चाहिए

लाभ के लिए कोई भी गतिविधि।

39. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'प्रमुख वस्तु' के बीज

सूरत आर्ट (सुप्रा) में पहली बार परीक्षण विकसित किया गया था। ध्यान देने योग्य बात है,

हालाँकि, सूरत कला (सुप्रा) को एक दान होने का दावा करने वाले निकाय के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि इसमें अपने उद्देश्यों के लिए सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की प्रगति थी। इसे किसी शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो उस स्तर पर धारा 10 (22) 1 8 द्वारा कवर किया गया था। इस मायने में, अदालत को शैक्षणिक संस्थान शब्द से निपटने का कोई अवसर नहीं मिला।

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यमान है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं। इसलिए, 'प्रमुख उद्देश्य' परीक्षण का अनुप्रयोग स्पष्ट रूप से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित दान के संदर्भ में उपयुक्त था। इस स्तर पर ही इस पहलू को उजागर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 'सूरत कला (उपरोक्त) में प्रमुख उद्देश्य' का उच्चारण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद होने की व्याख्या में आया, जो तब धारा 10 (22) और अब धारा 10 (23 सी) में हुआ था।

40. अदितानार (ऊपर) में मुद्दा यह था कि क्या निर्धारिती

समाज, जिसका उद्देश्य शिक्षा था, उसे इस आधार पर छूट से वंचित किया जा सकता था कि वह शैक्षिक गतिविधियों में शामिल नहीं था, बल्कि उसके स्कूल थे। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने उस अंक पर राहत देते हुए कहा कि निर्धारिती के उद्देश्य 'पूरी तरह से' शैक्षिक थे। इस अदालत ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया:

" 7. इसे मानना अवास्तविक और अति-तकनीकी होगा।

निर्धारिती-सोसायटी केवल एक वित्तपोषण निकाय है और ऐसा नहीं करेगी

'अन्य शैक्षणिक संस्थान' के दायरे में आते हैं

धारा 10 (22) में विनिर्दिष्ट। समाज का उद्देश्य है कि

महाविद्यालय या विद्यालय या अन्य संस्थानों की स्थापना, संचालन, प्रबंधन या सहायता करना। केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शैक्षणिक संस्थान और

उस संबंध में धन, दान, उपहार आदि जुटाना या एकत्र करना।

कॉलेज और स्कूल वह माध्यम हैं जिनके माध्यम से निर्धारिती

शिक्षा प्रदान करता है और अपने उद्देश्यों को प्रभावी बनाता है। सार में

और वास्तविकता, एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए निर्धारिती आया है

महाविद्यालयों के स्तर पर शिक्षा प्रदान करना अस्तित्व में है

और स्कूल और इसलिए, इस तरह के एक शैक्षिक समाज को होना चाहिए

18 धारा 10 (22) ने "विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की किसी भी आय को छूट दी है, जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है" [2022] 18 एस. सी. आर.

धारा 10 (22) के अंतर्गत आने वाले एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में माना जाता है। हम उसी के अनुसार चलते हैं। हमारे विचार में, का निर्णय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

और ऐसे संस्थानों को नियंत्रित करता है, और इसका उद्देश्य पूरी तरह से शैक्षिक है, इसे केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए स्थापित एक दान के रूप में माना जाएगा। 41. अगला प्रासंगिक निर्णय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (ऊपर) है। उच्च न्यायालय का विचार था कि धारा 10 (22) के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए, यह आवश्यक था कि आय एक विश्वविद्यालय या एक शैक्षणिक संस्थान की आय होनी चाहिए जो केवल इसके लिए मौजूद हो।

शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं। इस न्यायालय में न्यायिक राय में भिन्नता थी। एस. पी. भरुचा, जे. जिन्होंने असहमतिपूर्ण राय लिखी थी, ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 5. धारा 10 (22) के कारण, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की कोई भी आय, जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है, इसमें शामिल नहीं है -

उसकी कुल आय। विश्वविद्यालय एक चार्टर या क़ानून का निर्माण है। यह विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, और

लाभ के लिए नहीं। यद्यपि एक शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान कर सकता है, फिर भी इसका एक लाभ का उद्देश्य हो सकता है। इसलिए, कड़ाई से कहें तो खंड (22) में "केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं" वाक्यांश केवल "अन्य शैक्षणिक संस्थान" शब्दों को योग्य बनाता है, न कि "विश्वविद्यालय" शब्दों को। लेकिन यह सख्त व्याख्या इस मामले के उद्देश्यों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अभिव्यक्ति को "एक विश्वविद्यालय" और "अन्य" दोनों को योग्य बनाने के लिए पढ़ा जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थान "। प्राप्त करने के उद्देश्य से खंड (22) के तहत छूट विश्वविद्यालय को "मौजूदा" होना चाहिए।

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और उद्देश्यों के लिए नहीं

लाभ "। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए न कि लाभ कमाना। संदर्भ में "विद्यमान" शब्द का अर्थ है "होना"। इसका कोई स्थानीय अर्थ नहीं है। खंड में यह नहीं कहा गया है कि "भारत में मौजूद" और "भारत में" शब्दों को इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है। खंड में यह आवश्यकता नहीं है कि विश्वविद्यालय को भारत में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, इससे पहले कि वह इसके तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त कर सके। द हाई

अदालत ने खंड की अलग तरह से व्याख्या करने में गलती की।

एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख प्रतिनिधि [एस. रवींद्र भाट, जे.]

42. डी. P.Mohapatra, जे. ने एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने वाई. के. सभरवाल, जे. :

" 32. मेरा विचार है कि अभिव्यक्ति 'केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं' एक विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान के योग्य है। ऐसे मामले में जहां कोई विवाद उठाया जाता है कि निर्धारिती द्वारा कर से छूट का दावा स्वीकार्य है या नहीं, यह आवश्यक है।

निर्धारिती के लिए यह स्थापित करने के लिए कि यह एक हिस्सा है

एक विश्वविद्यालय जो केवल या कम से कम मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कार्यरत है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है और वह आय जिसके संबंध में छूट का दावा किया जाता है, विश्वविद्यालय की आय का एक हिस्सा है। यह सवाल माना जाता है हाथ में एक जैसे मामले में महत्व जहां निर्धारिती मुद्रण, प्रकाशन के व्यवसाय में लगे एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/व्यावसायिक उद्यम से ज्यादा कुछ नहीं है

और इस देश में किताबों की बिक्री। लेबल

विश्वविद्यालय प्रेस 'यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह किसी भी शैक्षिक गतिविधि में लगा हुआ है। इस देश में निर्धारिती के अस्तित्व का उद्देश्य, जैसा कि अभिलेख पर दी गई सामग्री से प्रतीत होता है, संभवतः लाभ अर्जित करना है। यदि निर्धारिती की ओर से धारा 10 (22) में प्रावधान की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रावधान को तर्कहीन और इसलिए मनमाने होने के आधार पर चुनौती दी जाएगी। तब सवाल उठेगा कि यह छूट किस उद्देश्य के लिए है?

कर निर्धारिती को बढ़ाया गया? यह व्यवसाय में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों की बड़ी संख्या से कैसे अलग है

पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन और बिक्री।

जे. वाई. के. सभरवाल की राय थीः

" 41. खंड (22) की सरल भाषा यह नहीं बताती है कि

ऊपर वर्णित शब्द केवल अन्य शैक्षिक योग्यता के योग्य हैं।

संस्थान, विश्वविद्यालय नहीं। श्री दस्तूर हालांकि मंद स्वर में

सुझाव दिया कि यह तर्क दिया जा सकता है कि ये शब्द नहीं हैं

विश्वविद्यालयों में योग्यता प्राप्त करें और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में योग्यता प्राप्त करें

लेकिन विद्वान वकील ने उस आधार पर बहस नहीं की। द.

विद्वान वकील ने यह मान लिया कि एकमात्र अस्तित्व की आवश्यकता शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लागू होती है न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए।

विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी।

दुर्भाग्य से, तथाकथित विश्वविद्यालयों का अस्तित्व जाहिरा तौर पर [2022] 18 एस. सी. आर.

एकमात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और वास्तव में लाभ के उद्देश्यों के लिए

इस देश में अज्ञात नहीं है। समान प्रभाव वाले शब्दों का उपयोग धारा 10 के खंड (22ए) में भी किया गया है।

' अस्पताल 'या' अन्य संस्थान के स्वागत और उपचार के लिए

लोग। . . . ' खंड (22ए) में समान सेटिंग में उपयोग किए गए शब्द केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए। इन शब्दों के प्रयोग को केवल अन्य संस्थानों तक सीमित रखने का कोई कारण नहीं है, न कि 'अस्पताल' तक।

यह मानते हुए कि ये शब्द 'अस्पताल' शब्दों के योग्य नहीं हैं।

42. मौजूदा विश्वविद्यालय की आवश्यकता केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगी न कि लाभ के उद्देश्यों के लिए यह विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगी और इस हद तक मैं भाई के तर्क से सहमत हूं।

महापात्रा। हालाँकि, वर्तमान उद्देश्यों के लिए, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मैं यह मान लूंगा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एकमात्र उद्देश्य शैक्षिक है न कि लाभ।

****

***

**

***

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं है, हालांकि भारत में स्थापित नहीं है, लेकिन अकेले इस देश में कुछ शैक्षिक गतिविधि है, छूट का दावा करने का हकदार होगा। ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान जिसके पास

भारत में शैक्षिक गतिविधि लेकिन स्थापित की जा रही है या किसी अन्य देश में गठित होने पर छूट के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि इसे भारत में स्थापित या गठित नहीं किया गया है। भारत में शिक्षा प्रदान करना या शैक्षिक गतिविधि का अस्तित्व धारा 10 (22) की मूल धारणा है और किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान की स्थापना या गठन का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह

उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार और उपचार के लिए अस्पताल या अन्य संस्थान की आय के संबंध में खंड (22ए) में भी वाक्यांश का उपयोग किया गया है। वहाँ की आवश्यकता केवल अस्तित्व के बारे में है परोपकारी उद्देश्यों के लिए और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं। धारा 10 का खंड (22ए) निम्नानुसार है:

(22 क) बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए अस्पताल या अन्य संस्थान की कोई आय या मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

मानसिक दोष या ग्रहण और उपचार के लिए

स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्ति या आवश्यकता वाले व्यक्ति

चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास, केवल के लिए मौजूद

परोपकारी उद्देश्यों के लिए और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं।

***

" 60. यदि निर्धारिती की ओर से आग्रह किया गया तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान [खंड (22)] या अस्पताल या अन्य संस्थान जैसा कि [खंड (22 ए) द्वारा विचार किया गया है, भारत में कोई भी शैक्षिक या परोपकारी गतिविधि प्रदान किए बिना, इस आधार पर छूट का लाभ लेने का दावा करेगा कि ऐसी सेवा दुनिया के किसी हिस्से में प्रदान की जा रही है, हालांकि भारत में ऐसा निकाय स्वयं या अपनी शाखा के माध्यम से किसी व्यवसाय या लाभ कमाने वाली गतिविधि के समान गतिविधि में लगा हुआ है। गतिविधि का अस्तित्व, जो भारत में समाज की सेवा की प्रकृति में है, धारा 10 के खंड (22) और (22 ए) में निहित है। इसके अलावा, खंड (29) के तहत हालांकि 'भारतीय कानून' शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन छूट का दावा करने के लिए उसमें प्राधिकरण का गठन उस समय लागू किसी भी कानून के तहत किया जाना चाहिए।

भारत "।

शिक्षा का लाभ उठाने के इच्छुक भारतीयों के लिए पंजीकरण कार्यक्रम भारत में आतिथ्य क्षेत्र में। अपीलार्थी को 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष तक धारा 10 (22) के तहत कर छूट प्राप्त थी। शाखा कार्यालय के खातों ने अधिशेष दिखाया, जिसे भारत के बाहर वापस भेज दिया गया था।

धारा 10 (22) के निरसन के बाद धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया गया था क्योंकि प्राधिकरण ने माना था कि निर्धारिती ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य के लिए अपनी आय का उपयोग नहीं किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया किः

" 27. शैक्षणिक संस्थान का वास्तविक अस्तित्व धारा 10 (22) के तहत प्रारंभिक अनुमोदन के लिए आवेदन की पूर्व शर्त थी। अनुमोदन देने पर, धारा 10 (22) के तहत, धारा 11 और 13 लागू नहीं हुई। इसलिए इससे पहले

1-4-1999 जब अपीलार्थी को छूट दी गई थी, तब धारा 10 (22) में कोई आकलन या मांग नहीं थी।

स्वचालित प्रभाव। एक बार जब कोई आवेदक-संस्थान इस वाक्यांश के भीतर आ जाता है कि 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है और लाभ के लिए नहीं' तो आय के आवेदन जैसी किसी अन्य शर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। निर्धारित प्राधिकरण था

केवल संस्थान की प्रकृति, गतिविधियों और वास्तविकता की जांच करने की आवश्यकता है। उपरोक्त वाक्यांश एकमात्र आवश्यकता थी

प्रारंभिक अनुमोदन के लिए। लाभ/अधिशेष का मात्र अस्तित्व संस्थान को अयोग्य नहीं ठहराता था यदि इसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था, बल्कि धारा 10 (22) के रूप में शैक्षणिक गतिविधियाँ थीं, जो अपनी प्रकृति से ऐसी संस्था की आय को छूट देने पर विचार करती हैं। धारा 10 (22) के तहत परीक्षण प्राप्तकर्ता के चरित्र तक सीमित था

आय, अर्थात, क्या इसका शैक्षणिक चरित्र था

भारत में संस्था, भारत के बाहर इसका चरित्र यह तय करने के लिए अप्रासंगिक था कि क्या इसकी आय को धारा के तहत छूट दी जाएगी।

10 (22) .

28. धारा 10 (22) में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या आवेदक की गतिविधियाँ 'शैक्षणिक संस्थान की आय' की परिभाषा के भीतर आती हैं। धारा 10 (22) के तहत संस्थान की गतिविधियों, संस्थान के उद्देश्यों और इसके आय के स्रोत और इसके उपयोग का बारीकी से विश्लेषण करना था। भले ही किसी एक उद्देश्य ने संस्थान को कार्य करने में सक्षम बनाया हो,

29. सूरत आर्ट सिल्क क्लॉथ एम. एफ. जी. एसोसिएशन के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रमुख उद्देश्य का परीक्षण यह देखना होगा कि क्या यह गतिविधि केवल शिक्षा के लिए है न कि लाभ अर्जित करने के लिए। हालाँकि, उद्देश्य केवल इसलिए अपना चरित्र नहीं खोएगा क्योंकि कुछ लाभ एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v से उत्पन्न होता है।

आय कर 1 के प्रमुख प्रतिनिधि [एस. रवींद्र भाट, जे.]

गतिविधि। शैक्षणिक गतिविधि को इस तरह से जारी रखना संभव नहीं है कि खर्च आय को बिल्कुल संतुलित कर दे और कोई परिणामी लाभ न हो, क्योंकि इसे प्राप्त करना न केवल व्यावहारिक प्राप्ति के लिए कठिन होगा, बल्कि यह प्रतिबिंबित करेगा।

प्रबंधन के असंगत सिद्धांत। यह पता लगाने के लिए कि क्या संस्थान निर्माण के उद्देश्य के साथ चल रहा है

लाभ हो या न हो, यह निर्धारित करना निर्धारित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि आय का संतुलन पूरी तरह से लागू होता है या नहीं और

विशेष रूप से उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए आवेदक स्थापित किया गया है।

30. प्राप्तकर्ता के चरित्र को निर्धारित करने में, प्रत्येक वर्ष के लाभ को देखना आवश्यक नहीं है, बल्कि भारत में की गई गतिविधियों की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। यदि भारतीय गतिविधि का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो छूट से इनकार किया जाना चाहिए, (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इस न्यायालय का निर्णय देखें। प्रेस केस (ऊपर)। इसलिए, आय के प्राप्तकर्ता के चरित्र में भारत में शैक्षणिक संस्थान का चरित्र होना चाहिए, ताकि गतिविधियों की प्रकृति से पता लगाया जा सके, यदि व्यय को पूरा करने के बाद, शैक्षिक संस्थान द्वारा की गई गतिविधि से अधिशेष संयोग से बना रहता है, तो यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद होना बंद नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, गतिविधि से अधिशेष के अस्तित्व का मतलब शैक्षिक उद्देश्य का अभाव नहीं होगा (आदिटानार शैक्षिक संस्थान बनाम में इस न्यायालय का निर्णय देखें। एडल्ट। सीआईटी 1997

(224) आईटीआर 310। परीक्षा गतिविधि की प्रकृति है। यदि मुद्रणालय चलाने जैसी गतिविधि होती है तो यह शैक्षिक नहीं है।

लेकिन क्या आय/लाभ को गैर-शैक्षिक उद्देश्य के लिए लागू किया गया है, यह वित्तीय वर्ष के अंत में ही तय किया जाना है।

**

****

" 32. अब हम प्रावधानों को शामिल करने के प्रभाव पर विचार करेंगे।

धारा 10 (22) पर लागू इस न्यायालय के निर्णय धारा 10 (23 सी) (vi) पर समान रूप से लागू होगी। यह समस्या धारा 10 (23 सी) (vi) में प्रावधानों को शामिल करने के साथ उत्पन्न होती है। धारा 10 (23 सी) (vi) में प्रावधानों को शामिल करने के साथ -

अनुमोदन चाहने वाले आवेदक को न केवल यह दिखाना होगा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद है [जो [2022] 18 एस. सी. आर.

धारा 10 (22)] के तहत भी आवश्यकता थी लेकिन अब इसे निर्धारित प्राधिकारी से प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त करना है,

धारा 10 (23सी) (vi) के संदर्भ में उस धारा के पहले परंतुक में उल्लिखित मानकीकृत प्रपत्र में आवेदन करके। से अनुमोदन प्राप्त करने की वह शर्त

निर्धारित प्राधिकारी को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा धारा 10 (22) का दुरुपयोग किया गया था।

विश्वविद्यालय। इस प्रावधान को अन्य प्रावधानों के साथ जोड़ा गया था क्योंकि छूट प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था। पहले परंतुक को शामिल करने के साथ, निर्धारित प्राधिकारी को जांच करने की आवश्यकता होती है आवेदन। यह जाँच प्रक्रिया दूसरे परंतुक द्वारा निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरा परंतुक निर्धारित प्राधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों को भी इंगित करता है। दूसरे परंतुक में अनुमोदन आवेदन पर विचार करते समय, निर्धारित प्राधिकारी को वार्षिक सहित ऐसे दस्तावेजों को बुलाने के लिए अनुमोदन देने से पहले अधिकार दिया जाता है।

आवेदक संस्थान की गतिविधियों की वास्तविकता की जांच करने के लिए आवेदक से खाते या जानकारी। इससे पहले वह शक्ति निर्धारित प्राधिकारी के पास नहीं थी। तीसरे परंतुक के तहत, निर्धारित प्राधिकारी को करना होगा

आवेदक संस्था की गतिविधियों की वास्तविकता का निर्णय करते समय यह सुनिश्चित करें कि क्या आवेदक अपनी आय को पूरी तरह से और विशेष रूप से उन उद्देश्यों पर लागू करता है जिनके लिए वह गठित/स्थापित है। बारहवें परंतुक के तहत, निर्धारित प्राधिकारी से उन मामलों की जांच करने की आवश्यकता होती है जहां

आवेदक प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं करता है और इसे जमा करता है, लेकिन उससे धारा 12 एए के तहत पंजीकृत किसी भी न्यास या संस्थान या किसी भी निधि या न्यास या संस्थान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान को भुगतान करता है और उस हद तक परंतुक में कहा गया है कि इस तरह के भुगतान को उन उद्देश्यों के लिए आय के आवेदन के रूप में नहीं माना जाएगा जिनके लिए ऐसा न्यास या निधि या शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया है। बारहवें परंतुक में अंतर्निहित विचार है -

'आय को उन उद्देश्यों पर लागू करना जिनके लिए संस्था की स्थापना की गई है' शब्दों के अर्थ के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को मार्गदर्शन प्रदान करें। इसलिए, बारहवाँ परंतुक विस्तार का विषय है। निर्णय लेने के लिए सबसे प्रासंगिक प्रावधान

यह अपील तेरहवाँ परंतुक है।

उस परंतुक के तहत, एस न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख प्रतिनिधि [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनके तहत निर्धारित प्राधिकारी को पहले दिए गए अनुमोदन को वापस लेने का अधिकार है। उस परंतुक के तहत, यदि निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट है कि न्यास, निधि, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान आदि ने अपनी आय को तीसरे परंतुक के अनुसार लागू नहीं किया है या यदि यह पाया जाता है कि ऐसी संस्था, न्यास या निधि आदि ने तीसरे के अनुसार अपनी निधियों का निवेश/जमा नहीं किया है।

परंतुक या कि ऐसी निधि या संस्था या न्यास आदि की गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं या इसकी गतिविधियाँ उन शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही हैं जिनके अधीन अनुमोदन दिया जाता है तो निर्धारित प्राधिकारी है -

उसमें उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पहले दी गई मंजूरी को वापस लेने का अधिकार।

33. धारा 10 (23सी) (vi) के प्रावधानों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन शर्तों के बीच अंतर है - शर्तें और उनका अनुपालन। सीमा शर्तें एक शैक्षणिक संस्थान का वास्तविक अस्तित्व और निर्धारित प्राधिकारी का अनुमोदन है जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को पहले परंतुक के संदर्भ में मानकीकृत रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। शिक्षा संस्थान के वास्तविक अस्तित्व की पूर्व-अपेक्षित शर्त को पूरा करने पर ही प्रावधानों में आवश्यकताओं के अनुपालन का सवाल उठेगा। हम अपीलार्थी की ओर से दिए गए विवाद में योग्यता पाते हैं कि तीसरे परंतुक में निगरानी शामिल है।

आवेदन, संचय, निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में आय की तैनाती जैसी शर्तें/आवश्यकताएं जिनका अनुपालन उन घटनाओं पर निर्भर करता है जो प्रारंभिक अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख को नहीं हुई हैं।

34. परंतुक के साथ धारा को व्यवहार्य बनाने के लिए हमारा विचार है कि तीसरे परंतुक में निगरानी की शर्तों जैसे आय का आवेदन/उपयोग, किए जाने वाले निवेशों का पैटर्न आदि को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा शर्तों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जिसके अधीन अनुमोदन किया जा सकता है।

दिया गया। उदाहरण के लिए, वर्तमान मामले जैसे सीमांत मामलों में, जहां अपीलकर्ता-संस्थान को 31-3-1998 (मूल्यांकन वर्ष 1998-99) समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक छूट दी गई थी और जहां नई व्यवस्था लागू होने के सात दिनों के भीतर 7-4-1999 पर आवेदन किया जाता है, निर्धारित प्राधिकारी [2022] 18 एस. सी. आर.

इस तरह के नियमों और शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं

वे उपयुक्त समझते हैं बशर्ते वे 1961 के अधिनियम के प्रावधानों (उपरोक्त निगरानी शर्तों सहित) के साथ संघर्ष में न हों। शर्तों को लागू करते समय जिनके अधीन

अनुमोदन दिया जाता है, निर्धारित प्राधिकारी इस पर जोर दे सकता है

उपयोग की जाने वाली लेखांकन आय का निश्चित प्रतिशत / भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन किया। ऐसा करते समय

शर्तों के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को जांच करनी होती है भारत में ऐसी गतिविधियाँ जो आवेदक ने अपने कार्य में की हैं

भारत सरकार के साथ संविधान, समझौता ज्ञापन और समझौता /

राष्ट्रीय परिषद। इस मामले में, मोटे तौर पर गतिविधियाँ

अपीलार्थी द्वारा किए गए कार्य हैं-संचालन शास्त्रीय पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करके, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करके शिक्षा,

भारत सरकार के संस्थानों के साथ किए गए समझौते की शर्तों के तहत परीक्षा आयोजित करना, डिप्लोमा प्रदान करना, परीक्षाओं का पर्यवेक्षण करना। इसी तरह, निर्धारित प्राधिकारी ऐसे नियमों और शर्तों पर अनुमोदन दे सकता है जो वह समझता है।

ऐसे मामले में उपयुक्त है जहां संस्थान प्रारंभिक अनुमोदन के लिए आवेदन करता है

पहली बार। निर्धारित प्राधिकारी को एक अवसर देना चाहिए

आवेदक को-निगरानी का पालन करने के लिए संस्थान

पहली बार निर्धारित की गई शर्तें

तीसरा प्रावधान। इसलिए, ऐसे मामले जहां पहले आवेदक ने छूट प्राप्त कर ली है, जैसा कि इस मामले में है, उन्हें इस आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरा परंतुक लागू नहीं किया गया है।

अनुपालन किया। हालाँकि, अनुमोदन के बाद, यदि इसे लाया जाता है

निर्धारित प्राधिकारी के नोटिस के लिए कि शर्तों पर जिन अनुमोदन का उल्लंघन किया गया है या तेरहवें परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियाँ मौजूद हैं तो निर्धारित

प्राधिकरण द्वारा पहले दी गई मंजूरी को वापस ले सकता है

उस परंतुक में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना। यह दृश्य

हमने लिया है, अर्थात्, कि निर्धारित प्राधिकारी कर सकता है

जिन शर्तों के अधीन अनुमोदन दिया जा सकता है, उन्हें तेरहवें परंतुक के उपखंड (ii) (B) से समर्थन मिलता है।

45. अगला निर्णय क्वींस एजुकेशन सोसाइटी का है a)। उस मामले में, समाज अपने स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में लगा हुआ था। लगातार दो मूल्यांकन वर्षों के लिए सोसायटीकुछ लाभ प्राप्त करें। इसे छूट से इनकार कर दिया गया था, इस आधार पर कि टीआई के उद्देश्यों में न केवल शिक्षा, बल्कि अन्य भी शामिल थे, और यह कि एम लाभ कमाना था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मैसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v की पुष्टि की।

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आय का अवलोकन। अपील पर, इस अदालत ने पिछले फैसलों (ऊपर चर्चा किए गए) पर विचार करने के बाद माना कि उच्च न्यायालय त्रुटि में था। सूरत आर्ट सिल्क (उपरोक्त) के फैसले से व्यापक रूप से उद्धृत करने के बाद, इस अदालत ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया, जिसमें पूरी तरह से 'प्रमुख उद्देश्य' परीक्षण की पुष्टि की गई:

" 11. इस प्रकार, धारा 10 (23 सी) (आई. आई. ए. डी.) के लिए सामान्य कानून और

(vi) का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(1) जहाँ एक शैक्षणिक संस्थान मुख्य रूप से व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा की गतिविधि करता है, यह तथ्य कि

अधिशेष इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि यह बंद हो जाता है

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में है और एक बन जाता है

लाभ कमाने के उद्देश्य से संस्था।
(2) प्रमुख वस्तु परीक्षण को लागू किया जाना चाहिए-शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाने में डूबा नहीं होना चाहिए।

मकसद। (3)
अधिशेष अर्जित करने और "लाभ के लिए" चलाई जा रही संस्था के बीच अंतर किया जाना चाहिए। नहीं।

निष्कर्ष यह निकलता है कि केवल शिक्षा प्रदान करने के कारण

लाभ कमाने के परिणामस्वरूप, यह लाभ के लिए एक गतिविधि बन जाती है।

(4) यदि व्यय को पूरा करने के बाद, संयोग से शैक्षणिक संस्थान द्वारा की गई गतिविधि से अधिशेष उत्पन्न होता है, तो यह

केवल शिक्षा के लिए मौजूद होना बंद नहीं होगा

उद्देश्य।

(5) अंतिम परीक्षा यह है कि क्या संबंधित मूल्यांकन वर्ष में मामले के समग्र दृष्टिकोण से उद्देश्य व्यक्तियों को शिक्षित करने के बजाय लाभ कमाना है।

46. अदालत ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि अधिशेष उत्पन्न करना निषिद्ध था और उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर प्रतिकूल टिप्पणी की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय ने अदितानार (ऊपर) में फैसले का गलत अर्थ निकाला था। इसके बाद इसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पाइनग्रोव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ के फैसले के खिलाफ निर्देशित अपील पर चर्चा की, जिसमें राजस्व द्वारा इस आधार पर छूट आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था कि शुल्क का स्तर एकत्र किया गया था और अधिशेष उत्पन्न हुआ था।

1 9 पिनेग्रोव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ, (2010) 327 आईटीआर 73 (पी एंड एच)।

कई वर्षों तक लगातार संकेत दिया कि ट्रस्ट अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की आड़ में खुद को लाभदायक गतिविधि में लगा रहा था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि छूट से इनकार करने का एकमात्र कारण लाभ का सृजन नहीं हो सकता है और जो प्रासंगिक था वह था -

' समाज का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य, जो उस मामले में शिक्षा प्रदान करना था। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अनुमोदन देने के बाद, यदि पी. ए. नोटिस करता है कि जिन शर्तों में अनुमोदन दिया गया था

तेरहवें परंतुक (जैसा कि तब मौजूद था) में विस्तृत परिस्थितियों के तहत उल्लंघन किया गया था, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुमोदन वापस लिया जा सकता था।

47. क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी (ऊपर) में इस अदालत ने मंजूरी दी

पाइनग्रोव इंटरनेशनल (ऊपर) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय। इसी फैसले से इसने उच्च न्यायालयों के अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी जो पाइनग्रोव के बाद आए थे और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत थे।

48. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने राजस्व द्वारा निम्नलिखित बातों पर विचार करने के लिए कहा है, जब न्यास या समितियाँ इस आधार पर पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन करती हैं कि वे शिक्षा में लगे हुए हैं या शामिल हैं:

((i) समाज या न्यास शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय को सीधे नहीं चला सकते हैं। इसके बजाय, यह शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों या कॉलेजों की स्थापना में सहायक हो सकता है। जब तक समाज या न्यास का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, तब तक यह तथ्य कि ऐसा नहीं है

तो खुद, लेकिन इसके कॉलेज या स्कूल ऐसा करते हैं, इसके परिणामस्वरूप अस्वीकृति नहीं होती है

अपने दावे से। (अदितानार (ऊपर))।

((ii) यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान शिक्षा में संलग्न है या नहीं, न्यायालय को अपने उद्देश्यों (ऊपर दिए गए) पर विचार करना होगा।
(iii) आवेदक संस्थान को प्रदान करने में लगा होना चाहिए

शिक्षा, यदि यह शिक्षा में लगी किसी संस्था या विश्वविद्यालय का हिस्सा होने का दावा करती है। यह शर्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (उपरोक्त) में प्रस्तावित की गई थी, जहां आवेदक एक प्रकाशक था, जो यू. के. में स्थापित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का हिस्सा था। निर्धारिती शिक्षा प्रदान करने में संलग्न नहीं था, बल्कि केवल लाभ के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन में संलग्न था। इसलिए, अदालत ने अपने बहुमत की राय में कहा कि केवल यह तथ्य कि यह एक विश्वविद्यालय (विदेश में निगमित या स्थापित) का हिस्सा था, इसे इस आधार पर छूट का दावा करने का अधिकार नहीं देता है कि -

भारत में शिक्षा प्रदान कर रहा था।

((iv) अमेरिकन होटल (ऊपर) के फैसले में कहा गया है कि -

पता लगाएँ कि क्या छूट के लिए आवेदक का दावा हो सकता है

अनुमति है, 'प्रमुख वस्तु' पर विचार किया जाना चाहिए। यह था।

यह भी माना कि जाँच करने का चरण कि क्या और किस हद तक

लाभ उत्पन्न किया गया था और उनका उपयोग कैसे किया गया था

अनुमोदन के अनुदान के समय आवश्यक, लेकिन इसके बजाय गठित भाग

'प्रमुख वस्तु' परीक्षण (जिसमें सूरत को व्यापक रूप से उद्धृत किया गया था) कला (ऊपर) और इसे अनुमोदन के साथ लागू किया)। अदालत ने यह भी कहा कि

केवल यह तथ्य कि पर्याप्त अधिशेष या लाभ उत्पन्न किए गए थे

अनुमोदन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi)।

'केवल' शब्द की जाँच

49. यह स्पष्ट है कि 'किसी भी विश्वविद्यालय' शब्द का अर्थ

केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मौजूद अन्य शैक्षणिक संस्थान और लाभ के उद्देश्यों के लिए नहीं, लाभ के लिए अन्य नकारात्मक संदर्भ,

शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में, सातवें परंतुक में है जो यह बताता है कि जो आय व्यवसाय का लाभ है, उसे छूट नहीं दी जा सकती है,

" जब तक कि व्यवसाय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक न हो

और इसके द्वारा अलग-अलग लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है

ऐसा व्यवसाय "।

50. छूट देने वाला मूल प्रावधान, इस प्रकार आदेश देता है कि

संस्थान का अस्तित्व केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए न कि

लाभ के उद्देश्यों के लिए '। यह आवश्यकता स्पष्ट है। निर्माण करते समय

यह आवश्यक आवश्यकता, परंतुक, जो अपवाद को तैयार करता है,

कहने के लिए, एक सीमित सीमा तक, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अभिव्यक्ति

' केवल 'की व्याख्या की गई है, जैसा कि पहले देखा गया है, अन्य निर्णयों द्वारा

'प्रमुख/प्रमुख/प्राथमिक/मुख्य' वस्तु के रूप में। मैदान और 'एकमात्र' या 'केवल' शब्द का व्याकरणिक अर्थ 'केवल' है या

' विशेष रूप से '। P.Ramanath अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन 20 बताता है

"केवल" शब्द का अर्थ है विशेष रूप से और मुख्य रूप से नहीं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 'केवल' को परिभाषित करती है, "केवल और शामिल नहीं।

कोई भी या कुछ और "। 21 'केवल' के पर्यायवाची शब्द 'केवल' हैं,

स्वतंत्र रूप से, एकल-हाथ, एकल-हाथ, एकल, बिना सहायता के,

20 पी. रमानाथा अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, (छठी संस्करण), पेज। 5249-5250 (2019) .
21 केवल, कैम्ब्रिज शब्दकोश (चौथा संस्करण) (2013)।

गैर-सहायता प्राप्त "और इसके विलोम शब्द हैं" समावेशी, सामूहिक रूप से, सहयोगात्मक रूप से, संयुक्त रूप से आदि।

51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 'केवल' शब्द 'प्रमुख/मुख्य रूप से' के समान नहीं है। 'केवल' शब्द का अर्थ है अन्य सभी का बहिष्कार। पिछले निर्णयों में से कोई नहीं, विशेष रूप से अमेरिकन होटल

(सुप्रा) या क्वींस एजुकेशन सोसाइटी (सुप्रा)-ने 'केवल' अभिव्यक्ति के सही अर्थ की खोज की। इसके बजाय, पिछली चर्चा से जो स्पष्ट है वह यह है कि सूरत कला (उपरोक्त) में प्रतिपादित लागू परीक्षा यानी 'प्रमुख उद्देश्य' परीक्षा को शिक्षा प्रदान करने का दावा करने वाले धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित मामलों में निर्विवाद रूप से लागू किया गया था। अमेरिकन होटल (ऊपर) और क्वींस एजुकेशन सोसाइटी (ऊपर) में पिछले फैसलों का नेतृत्व करने वाली इस अदालत की राय में स्पष्ट त्रुटि यह थी कि सूरत आर्ट (ऊपर) का निर्णय उस समाज के संदर्भ में किया गया था जो शिक्षा प्रदान करने का दावा नहीं करता था। इसने सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित एक संस्थान के रूप में धर्मार्थ स्थिति का दावा किया। सूरत कला (ऊपर) निर्णय ने कई उद्देश्यों में से पहले को चुना (उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से व्यापारिक या वाणिज्यिक वस्तुएं थीं) 'प्रमुख' उद्देश्य के रूप में जिन्हें छूट के लिए संघ के दावे का न्याय करते समय विचार किया जाना था। सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों की उन्नति के लिए स्थापित धर्मार्थ संगठनों पर लागू दृष्टिकोण और तर्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित या स्थापित दान से पूरी तरह से अलग हैं।

उत्तरार्द्ध के मामले में, छूट का आधार धारा 10 (23 सी) (आई. आई. आई. ए. बी.), (आई. आई. आई. ए. डी.) और (वी. आई.) है। इन सभी प्रावधानों में, सकारात्मक शर्त 'केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए' और नकारात्मक निषेधाज्ञा और इसके लिए नहीं

लाभ के उद्देश्य बाध्यकारी जनादेश के रूप में बड़े होते हैं, जो छूट के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए 'केवल' अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, शिक्षा प्रदान करने वाले न्यास, विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान, जैसा भी मामला हो, के सभी उद्देश्य अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से होने चाहिए। कानून की स्पष्ट और स्पष्ट शर्तों और छूट से संबंधित मूल प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कोई अन्य व्याख्या नहीं हो सकती है।

52. इस न्यायालय का दृष्टिकोण सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम में पिछले निर्णयों से मजबूत होता है। दिलीप कुमार और

कंपनी और ओआरएस। 22 जहाँ एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि कर लगाने वाली विधियों का अर्थ उनकी सरल भाषा के संदर्भ में लगाया जाना चाहिएः

22 सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड ओआरएस। , (2018) 9 एससीसी 1.

मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 21. सुव्यवस्थित सिद्धांत यह है कि जब शब्दों में

कानून स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट हैं और केवल एक ही है।

अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है, न्यायालय परिणाम की परवाह किए बिना उक्त अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य हैं। यदि कानून में शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके स्वाभाविक और सामान्य अर्थों में समझाना आवश्यक हो जाता है। उपयोग किए गए शब्द विधायिका के इरादे की घोषणा करते हैं।

न्यायालय ने 'सख्त' और 'शाब्दिक' व्याख्या के बीच की बारीकियों पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 29. ..... हम दोहराने की कीमत पर दोहरा सकते हैं कि एक क़ानून की सख्त व्याख्या में निश्चित रूप से शाब्दिक या सादा अर्थ परीक्षण शामिल है। व्याख्या के अन्य साधन, अर्थात्, प्रासंगिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को लागू नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य सहायक सामग्री, विशेष रूप से कराधान कानूनों को देखने के लिए कोई उपाय किया जा सकता है। वास्तव में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि

एक कराधान कानून, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है; उस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए किया जाना चाहिए और यह कि मामला पूरी तरह से भाषा द्वारा शासित होना चाहिए

अधिसूचना से। कर कानून की व्याख्या में समानता का कोई स्थान नहीं है। कड़ाई से उपयोग की गई भाषा को देखना होगा; न तो इरादे की खोज के लिए कोई जगह है और न ही कोई अनुमान लगाने के लिए। इसके अलावा, एक कराधान क़ानून पर विचार करते समय आवश्यक निष्कर्षों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न ही कुछ निहित किया जाना चाहिए।

यदि भाषा असंदिग्ध है और एक अर्थ के लिए सक्षम है, तो केवल उसी को लागू किया जाना चाहिए और किसी अन्य को नहीं, इस अनुमान के आधार पर कि संसद या विधायिका ने ऐसा करने का इरादा किया था। दूसरे शब्दों में, यह केवल अस्पष्टता के मामलों में है कि अदालत सही अर्थ को समझने के लिए अन्य सहायता का उपयोग कर सकती है। जहां कानून स्पष्ट है और शब्द स्पष्ट हैं, वहां कानून को अपनी शर्तों में प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

53. ए. वी. फर्नांडीज बनाम केरल राज्य 2 3 में, एक संविधान पीठ ने चर्चा की कि कर कानूनों का सामान्य रूप से अर्थ कैसे लगाया जाना चाहिए:

" 29. इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि राजकोषीय कानूनों का अर्थ निकालने और कर के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्व का निर्धारण करने में किसी को कानून के सख्त अक्षर को ध्यान में रखना चाहिए, न कि केवल क़ानून की भावना या कानून के सार को। अगर राजस्व

23 ए. वी. फर्नांडीज बनाम केरल राज्य, 1957 एस. सी. आर. 837।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय को संतुष्ट करता है कि मामला सख्ती से न्यायालय के दायरे में आता है

कानून के प्रावधानों के अनुसार, विषय पर कर लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि मामला कराधान कानून के प्रावधानों के चार कोनों के भीतर नहीं आता है, तो इसके द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है।

अनुमान या सादृश्य द्वारा या जांच करने की कोशिश करके विधायिका के इरादे और इस बात पर विचार करके कि क्या था

विषय का सार "।

54. यह केवल तभी होता है जब शाब्दिक व्याख्या का अनुप्रयोग एक बेतुकेपन को जन्म देता है, तो व्याख्या को विस्तृत होना चाहिए। यह मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम में दोहराया गया था। डिप्टी

वाणिज्यिक कर आयुक्त & Ors.24:

" 24. ..... एक सख्त और एक उदार संरचना के बीच चयन केवल वैधानिक भाषा पर प्रकट विधायिका के इरादे के संबंध में संदेह के मामले में उत्पन्न होता है। वास्तव में, किसी भी व्याख्यात्मक प्रक्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जब क़ानून के सादे शब्दों पर अर्थ प्रकट नहीं होता है। यदि शब्द सरल और स्पष्ट हैं और सीधे व्यक्त करते हैं

अर्थात्, किसी भी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

55. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में इस बात पर जोर दिया है कि परंतुक का उद्देश्य मुख्य प्रावधान को छोड़कर कुछ ऐसा करना है जो अधिनियम में अधिनियमित किया गया है।

मूल खंड। हालाँकि, इसे अपने आप में एक मूल प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम। मोतीभाई नागजीभाई 25

एक परंतुक के कार्य और प्रभाव पर विचार किया गयाः

" 8. परंतुक का उचित कार्य मूल खंड में अधिनियमित किसी चीज़ को छोड़कर या अर्हता प्राप्त करना है, जो परंतुक के लिए उस खंड के भीतर होगा। सामान्यतः कोनो परंतुकक अर्थमे ई मानल जा सकैत अछि जे एहि धाराक अधिनियमित करय बला भागमे निम्नलिखित शामिल छल -

विषय-परंतुक का विषय। "

56. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल 26 यह था

मान लिया किः

" 192. एक परंतुक को खंड के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए -

जिसे जोड़ा जाता है। मूलधन में एक परंतुक जोड़ा जाता है

24 मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर और अन्य के उपायुक्त, (1992) पूरक (1) एस. सी. सी. 21.

25 ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम। मोतीभाई नागजीभाई, 1966 (1) एस. सी. आर. 367।
26 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल, (2020) 8 एससीसी 129।

मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v. आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रावधान जिसमें यह संलग्न है। यह बड़ा नहीं करता है

अधिनियमन। यदि प्रावधान अधिनियमन भाग के प्रतिकूल है, तो परंतुक प्रबल नहीं हो सकता है। हालांकि बाद के अधिनियम के पूर्ण संदर्भ में। इसके स्थान पर विचार किया गया है, और उद्देश्य

निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया गया है। यह था।

राजस्थान राज्य बनाम में देखा गया। लीला जैन [राज्य

राजस्थान बनाम. लीला जैन, (1965) 1 एससीआर 276: ए. आई. आर. 1965 एससी

1296] : (एयर पी। 1300, पैरा 14)

जहाँ तक एक के निर्माण के सामान्य सिद्धांत के रूप में

" 14 .

परंतुक का संबंध है, यह व्यापक रूप से कहा गया है कि

परंतुक का कार्य धारा के मुख्य भाग को सीमित करना और कुछ ऐसा बनाना है जो परंतुक के लिए परिचालन भाग के भीतर होता।

57. एस. सुंदरम पिल्लई बनाम में परंतुक के दायरे पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी। वी. आर. पट्टाबिरमन। 27 इस अदालत ने कहा कि

आम तौर पर एक परंतुक मुख्य अधिनियम के भीतर किसी चीज़ के लिए एक अपवाद या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करने के लिए होता है जो परंतुक के लिए अधिनियम के दायरे में होगा। किसी परंतुक को मुख्य अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उपयोग मुख्य अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को रद्द करने या शून्य करने के लिए किया जा सकता है। पिछले निर्णयों और आधिकारिक ग्रंथों को उद्धृत करने के बाद, इस अदालत ने सही कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः

" 43. हमें इस पर अधिकारियों के बाद अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है।

क्योंकि कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है और

स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित। संक्षेप में, एक परंतुक काम कर सकता है

चार विभिन्न उद्देश्यः

(1) मुख्य से कुछ प्रावधानों को अर्हता प्राप्त करना या छोड़ना

अधिनियमः

(2) यह इरादे की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है।

कुछ अनिवार्य पर जोर देकर अधिनियम का

अधिनियम बनाने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें

काम करने योग्यः

(3) यह अधिनियम में ही इस तरह से अंतर्निहित हो सकता है कि अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन जाए और इस प्रकार अवधि प्राप्त हो जाए।

और मूल अधिनियम का रंग; और

27 एस. सुंदरम पिल्लई बनाम वी. आर. पट्टाबीरमन, 1985 (1) एस. सी. सी. 591।

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) इसका उपयोग केवल वास्तविक को समझाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियम के लिए एक वैकल्पिक परिशिष्ट के रूप में कार्य करने के लिए किया जा सकता है।

वैधानिक प्रावधान का आशय।

शिक्षा, या केवल शैक्षिक गतिविधि), और लाभ के लिए नहीं। हालांकि सातवाँ परंतुक इस नियम के लिए एक अपवाद बनाता है, और न्यास या संस्थान को लाभ दर्ज करने (या अर्जित करने) की अनुमति देता है, बशर्ते कि व्यवसाय 'जिसे शिक्षा या शैक्षिक गतिविधि के रूप में देखा जाना है-और इसके अलावा कुछ भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक नहीं है (यानी, शिक्षा के उद्देश्य या उससे संबंधित)।

59. दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमेन एंड ओआरएस में इस अदालत के फैसले में। 28 इसमें शामिल प्रश्न एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र था। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, इस बारे में कि क्या यह उसे संदर्भित विवादों और उससे संबंधित मामलों का फैसला कर सकता है, इस अदालत ने निम्नलिखित में 'आनुषंगिक' का अर्थ समझाया हैः

तरीका -

" 21. [टी] वे शब्द 'आनुषंगिक' का अर्थ वेबस्टर के अनुसार है

न्यू वर्ल्ड डिक्शनरीः
" कुछ अधिक महत्वपूर्ण के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में होने या होने की संभावना; एक घटना होना; आकस्मिक; इसलिए, गौण या गौण, लेकिन आमतौर पर संबंधितः

" इसलिए किसी विवाद के लिए कुछ आकस्मिक होने का अर्थ होना चाहिए।

या के परिणामस्वरूप कुछ हो रहा है; विवाद के संबंध में या विवाद से जुड़ा हुआ। विवाद यह है कि

मौलिक बात जबकि उसमें कुछ आनुषंगिक है

इसके साथ जुड़ें। इसलिए, कुछ आनुषंगिक, मुख्य चीज़ की जड़ को नहीं काट सकता है जिससे यह एक सहायक है। उपरोक्त निर्णय का अन्य मामलों में पालन किया गया है।

' अतः आनुषंगिक का अर्थ है, वर्तमान मामले के संदर्भ में,

शिक्षा की गतिविधि से जुड़ा कुछ।

28 दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम कामगार और अन्य। , 1967 (1) एससीआर 882।

61. दूसरा सवाल जिसे इस अदालत को संबोधित करना है, वह यह है कि क्या पी. ए. (आयुक्त या कोई अन्य नामित प्राधिकरण) को किसी भी तरह से किसी सोसायटी, ट्रस्ट या अन्य संस्थान के उद्देश्य को समझने के लिए जांच की प्रकृति को सीमित करने का आदेश दिया गया है, जब वह धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करता है। 62. धारा 10 (23 सी) में कई प्रावधान हैं। पहला परंतुक संबंधित निधि, न्यास या संस्थान को संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करने का आदेश देता है।

अर्थात्, आयुक्त, अनुमोदन प्रदान करने के लिए और ऐसा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है। इनमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं जहां न्यास या संस्थान को समय पर एक विशेष बिंदु तक मंजूरी दी गई थी और विस्तार की मांग की गई थी। उपखंड (ii) के दूसरे परंतुक में आयुक्त से निधि, न्यास या संस्था की गतिविधियों की वास्तविकता और ऐसी निधि, न्यास या संस्था द्वारा लागू अन्य कानूनों की ऐसी आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में निर्दिष्ट करने के लिए ऐसी पूछताछ करने की अपेक्षा की गई है। सामग्री पर विचार करने पर आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी एक उपयुक्त प्रस्ताव पारित कर सकते हैं।

एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुमोदन देने का आदेश, या आवेदन को अस्वीकार कर दें। दूसरा परंतुक महत्वपूर्ण रूप से इंगित करता है कि किसी भी निधि, न्यास या संस्थान को अनुमोदन देने से पहले, आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी लेखापरीक्षित सहित 'ऐसे दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं'

वार्षिक खाते या निधि, या न्यास या संस्था आदि से जानकारी, जो गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। अमेरिकन होटल (उपरोक्त) के निर्णय में धारा 10 (23 सी) के प्रावधानों के प्रभाव पर व्यापक रूप से विचार किया गया। ऐसा करते समय, अदालत ने इन प्रावधानों के प्रभाव के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं, जिनमें से कुछ को अनुमोदन या पंजीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करने के चरण और अन्य [2022] 18 एस. सी. आर. के रूप में वर्णित किया गया था।

63. धारा 10 (23 सी) के दूसरे परंतुक की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को संदर्भित करता है न्यासों और संस्थानों द्वारा किए गए आवेदनों सहित

शिक्षा, कोई भी इस तरह के प्रतिबंधों को नहीं समझ सकता है। सूचना के प्रमुखों में से एक के रूप में 'लेखापरीक्षित वार्षिक खातों' के स्पष्ट संदर्भ से, जिसे किसी आवेदन के अनुमोदन के चरण में विचार के लिए वैध रूप से बुलाया या अधिग्रहित किया जा सकता है, निष्कर्ष स्पष्ट हैः द.

आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी के हाथ किसी में नहीं बंधे होते हैं। किसी भी तरह से। अमेरिकन होटल (ऊपर) में इसके विपरीत टिप्पणियों में निहित विवेक की अनदेखी की गई प्रतीत होती है

के पिछले इतिहास को देखने के लिए आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी

लेखा, और यह पता लगाने के लिए कि क्या आवेदक वास्तव में 'पूरी तरह से' शिक्षा में लगा हुआ था। अमेरिकन होटल (ऊपर) ने यह कहते हुए खातों की पूरी तरह से जांच को बाहर कर दिया कि ऐसे खाते उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। न्यायालय की राय में उन टिप्पणियों का मानना है कि केवल नए

स्थापित समितियाँ, न्यास या संस्थान छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि क़ानून संभावित रूप से नव निर्मित संगठनों, संस्थानों पर लागू होता है।

या न्यास, यह मौजूदा संस्थानों, समितियों या न्यास पर समान रूप से लागू होता है, जो बाद में छूट की मांग कर सकते हैं। साथ ही यह अदालत भी है इस राय का कि आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी, अनुमोदन के लिए एक आवेदन और आगे की सामग्री पर विचार करते समय

(लेखापरीक्षित विवरणों सहित) के लिए, जांच को सामान्य रूप से अर्जित आय की प्रकृति और क्या यह समाज (या न्यास) की शिक्षा या शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों के लिए है, तक सीमित रखना चाहिए। यदि शिक्षा प्रदान करने या संबंधित गतिविधियों में अधिशेष या लाभ निर्धारिती आवेदक के हाथों में उत्पन्न होता है, तो असमान वजन नहीं दिया जाना चाहिए। अधिशेष या लाभ, बशर्ते वे आकस्मिक हों। इसलिए पंजीकरण या अनुमोदन के चरण में ध्यान गतिविधि पर होता है न कि आय के अनुपात पर। यदि आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि आंतरिक रूप से शिक्षा का हिस्सा है, तो आयुक्त या अन्य प्राधिकरण अकेले उस आधार पर आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।

अन्य कानूनों की प्रयोज्यता

64. कुछ अपीलों में एक शिकायत व्यक्त की गई थी कि राजस्व ने सोसायटी या शैक्षणिक संस्थान को मंजूरी नहीं दी क्योंकि यह

ए. पी. चैरिटी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था। ए. पी. चैरिटी अधिनियम की धारा 1 (3) (ए) सभी सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थानों पर लागू होती है, चाहे वे पंजीकृत हों या नहीं। 'सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान' शब्द को परिभाषित किया गया है, और इसमें प्रत्येक धर्मार्थ संस्थान शामिल है जिसका प्रशासन कुछ समय के लिए, दूसरों के बीच, एक समाज द्वारा किया जाता है। ए. पी. चैरिटीज एक्ट की धारा 2 (4) के तहत 'धर्मार्थ संस्था' और धारा 2 (5) के तहत 'धर्मार्थ उद्देश्य' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 2 परिभाषाएँ

****

(4) ' धर्मार्थ संस्था का अर्थ है कोई भी प्रतिष्ठान, एक के लिए गठित उपक्रम, संगठन या संघ

धर्मार्थ उद्देश्य और इसमें एक विशिष्ट दान शामिल है और

(क) गरीबी या संकट से राहत; ((ख) शिक्षा;

(ग) चिकित्सीय राहत;

((घ) उपयोगिता या कल्याण के किसी अन्य उद्देश्य को आम जनता या उसके किसी वर्ग के लिए आगे बढ़ाना, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित नहीं है -

विशेष रूप से धार्मिक प्रकृति।

65. स्पष्ट रूप से, ए. पी. चैरिटी अधिनियम द्वारा परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य, आई. टी. अधिनियम के समान हैं। इस प्रकार, प्रतिष्ठान या संघ या 'धर्मार्थ उद्देश्य' के लिए गठित संगठन (व्यापक रूप से शब्दबद्ध शब्द) धर्मार्थ संस्थानों के अर्थ में आते हैं। इनमें शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित समितियाँ और न्यास शामिल हैं।

पंजीकरण के लिए आवेदन करें। नए न्यास या संस्थान अपने गठन के नब्बे दिनों के भीतर, प्रभारी व्यक्तियों के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य हैं-पंजीयक, धारा 43 (2) से धारा 43 (4) तक आवेदन के साथ प्रदान की गई सामग्री की जांच करने और अन्य प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के लिए बाध्य। धारा 43 (5) इस प्रकार हैः

2] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 43 (5) आवेदन प्राप्त होने पर, सहायक

आयुक्त, ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे और संस्था या बंदोबस्ती में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद, इसके पंजीकरण का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करेगा और न्यासी या अन्य व्यक्ति को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

आवेदन में दिए गए विवरण के साथ उसकी जाँच के परिणामस्वरूप उसके द्वारा किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों।

67. धारा 43 (1) का पालन करने में विफलता, या न्यास में अंतरंग परिवर्तन करने में विफलता, या गलत जानकारी प्रदान करने की स्थिति में, न्यासी या अन्य प्रभारी व्यक्ति को धारा 43 (11) द्वारा दंडित किया जा सकता है। धारा 44 आयुक्त को धर्मार्थ संगठनों और न्यासों को अधिनियम के तहत अनुपालन और पंजीकरण करने का निर्देश देने का अधिकार देती है।

68. आकलनकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि वे आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत थे या विधिवत पंजीकृत न्यास थे, इसलिए उन्हें धर्मार्थ के रूप में उनके आवेदन पर विचार करने के लिए एक शर्त के रूप में राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

धारा 10 (23 सी) के तहत संस्थान।

69. इस अदालत की राय है कि इस पहलू पर विवादित फैसले के निष्कर्ष सही हैं। पंजीकरण की आवश्यकता

प्रत्येक धर्मार्थ संस्था वैकल्पिक नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि गैर-पंजीकरण के परिणाम दंडात्मक हैं, जो इंगित करता है

ए. पी. चैरिटी अधिनियम के प्रावधानों की अनिवार्य प्रकृति, ऐसे स्थानीय कानून नियामक ढांचा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वार्षिक खाते, शासी निकाय चुनने का तरीका (संस्थापक साधन के संदर्भ में): न्यास, समाज आदि), संपत्तियों के अधिग्रहण और निपटान आदि की लगातार निगरानी की जाती है। सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32

संविधान इस प्रकार हैः

" 32. निगमन, विनियमन और समापन

सूची I में निर्दिष्ट निगमों के अलावा, और

विश्वविद्यालय; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक,

धार्मिक और अन्य समाज और संघ; सहकारी

समाज "।

सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 28, सूची III के अनुसार, राज्यों के पास दान के विषय पर कानून बनाने की निस्संदेह शक्ति हैः

" 28. धर्मार्थ और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ और

धार्मिक दान और धार्मिक संस्थान "। मेसर्स न्यू नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

आय कर 1 के प्रमुख आयुक्त [एस. रवींद्र भाट, जे.]

धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदनों पर निर्णय लेते समय आयुक्त या अन्य संबंधित प्राधिकारी। 71. यह तर्क विशेष रूप से धारा 11 (4 ए) में समान रूप से लागू होता है जो आकस्मिक लाभ की बात करता है जो उस छूट को निर्दिष्ट करता है

किसी संस्था की आय या न्यास के संबंध में जो लाभ या व्यवसाय के साधन हैं, उन्हें तब तक छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि व्यवसाय आकस्मिक, न्यास या संस्था न हो और ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे व्यवसाय के संबंध में अलग-अलग लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं। इस प्रकार, धारा 10 (23 सी) और धारा 11 (4 ए) के सातवें परंतुक का अंतर्निहित उद्देश्य समान है। इन्हें मुख्य प्रावधान के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जो धारा 10 (23 सी) के तहत छूट के लिए शर्तों को बताता है-वही शर्तें धारा 10 (23 सी) के अन्य उपखंडों पर समान रूप से लागू होंगी जो शिक्षा, चिकित्सा संस्थान, अस्पतालों आदि से संबंधित हैं।

72. फिर शिक्षा के संबंध में 'आनुषंगिक' व्यावसायिक गतिविधि क्या है? विद्यालयों, महाविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना स्वयं दान होगा। इसके अलावा भी हो सकता है

शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक गतिविधियाँ। एक उदाहरण पाठ्य पुस्तकों का है। यह अदालत असम राज्य पाठ्य पुस्तक निर्माण और प्रकाशन निगम में पिछले फैसले में। लिमिटेड वी. आयकर आयुक्त 2 9 ने माना है कि पाठ्य पुस्तकों में काम करना एक बड़ी शैक्षिक गतिविधि का हिस्सा है। न्यायालय राज्य द्वारा स्थापित उन संस्थानों से संबंधित था जो पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और बिक्री करते थे। यह माना गया था कि यदि कोई संस्थान सीखने की सुविधा प्रदान करता है 29 असम राज्य पाठ्य पुस्तक निर्माण और प्रकाशन निगम। लिमिटेड वी. आयकर आयुक्त, (2009) 17 एस. सी. सी. 391.

इसके छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का स्रोत बनाकर और प्रदान करके, ऐसी गतिविधि शिक्षा के लिए 'आकस्मिक' होगी। इसी तरह, यदि कोई स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान अपनी बसें चलाता है और परिवहन के लिए बस सुविधा प्रदान करता है

बच्चे, वह भी शिक्षा के लिए एक आनुषंगिक गतिविधि होगी। इसी तरह के उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि छात्रों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन शिविर उपलब्ध कराना।

शैक्षणिक पाठ्यक्रम, जैसे कि कंप्यूटर आदि से संबंधित, जो इसके छात्रों को सीखने की उनकी खोज में लाभान्वित कर सकते हैं।

73. हालांकि, जहां संस्थान अपने परिसर प्रदान करते हैं या

के प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं, न्यासों, समितियों आदि के लिए अवसंरचना

कार्यशालाओं, संगोष्ठियों या यहां तक कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों का आयोजन (जो संबंधित न्यास वास्तव में प्रदान नहीं कर रहा है) और बाहरी लोगों को ऐसे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पाठ्यक्रमों आदि में नामांकन करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधि से प्राप्त आय को शिक्षा के हिस्से के रूप में या शिक्षा प्रदान करने के लिए 'आकस्मिक' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। ऐसी आय उचित रूप से आय के अन्य शीर्षों के अंतर्गत आ सकती है।

74. इस अदालत के समक्ष आर. आर. एम. एजुकेशनल सोसाइटी की अपील में, धारा 10 (23सी) के भीतर अपीलार्थी की धर्मार्थ स्थिति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि संस्थान केवल प्रदान नहीं कर रहा था

शिक्षा दे रहा था लेकिन छात्रावास भी चला रहा था। यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गतिविधि होगी। अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि आर. आर. एम. एजुकेशनल सोसाइटी केवल अपने छात्रों को ही छात्रावास की सुविधा प्रदान कर रही थी या दूसरों को भी। अगर

संस्थान केवल अपने छात्रों को छात्रावास और संबद्ध सुविधाएं (जैसे भोजन आदि) प्रदान करता था, यह गतिविधि स्पष्ट रूप से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए 'आनुषंगिक' होगी।

75. आग्रह किया गया अंतिम आधार आयुक्त द्वारा कुछ संस्थानों को पंजीकृत करने से इनकार करने के संबंध में था जिन्होंने अपने नियमों में संशोधन किया था।

उद्देश्य। इस अदालत की राय है कि अपीलकर्ता समितियों और न्यासों द्वारा चुनौती को अस्वीकार करने में विवादित निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि धारा 10 (23) (सी) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले न्यास या समितियों की आवश्यकता एक विशिष्ट समय (30 सितंबर से पहले) बताती है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, इस तरह की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित वर्ष की परिस्थितियों में, अनुमोदन या अस्वीकार करने के संबंधित अधिकारियों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय का तर्क

संस्थान के पंजीकरण की पुष्टि की जाती है।

76. इस न्यायालय के निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धर्मार्थ संस्थान, समाज या न्यास आदि की आवश्यकता है कि वे खुद को शिक्षा या शैक्षिक गतिविधियों में 'पूरी तरह से' संलग्न करें, और लाभ की किसी भी गतिविधि में संलग्न न हों, इसका मतलब है कि ऐसे संस्थानों के ऐसे उद्देश्य नहीं हो सकते हैं जो शिक्षा से असंबंधित हैं। दूसरे शब्दों में, समाज के सभी उद्देश्य, न्यास आदि, शिक्षा प्रदान करने या शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में होने चाहिए। जहां संस्थान का उद्देश्य लाभ उन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं होंगे। साथ ही, जहां अधिशेष किसी दिए गए वर्ष या प्रति वर्ष वर्षों के सेट में अर्जित होता है, यह एक बाधा नहीं है, बशर्ते कि ऐसा अधिशेष शिक्षा या शैक्षिक गतिविधियों को प्रदान करने के दौरान उत्पन्न किया जाता है।

धारा 10 (23 सी) के सातवें परंतुक के साथ-साथ धारा 11 (4 ए) उन लाभों को संदर्भित करता है जो धर्मार्थ संस्थान द्वारा 'संयोग से' उत्पन्न या अर्जित किए जा सकते हैं। वर्तमान मामले में, यह केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो शिक्षा प्रदान करते हैं या संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं।

शिक्षा.

धारा 10 (23 सी) और धारा 11 (4 ए) के सातवें परंतुक में 'व्यवसाय' और 'लाभ' के संदर्भ का केवल यह अर्थ है कि व्यवसाय का लाभ जो शैक्षिक गतिविधि के लिए 'आकस्मिक' है-जैसा कि निर्णय के पहले भाग में समझाया गया है, अर्थात शिक्षा से संबंधित जैसे कि पाठ्य पुस्तकों की बिक्री, स्कूल बस सुविधाएं, छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना आदि। अमेरिकन होटल (ऊपर) और क्वींस एजुकेशन सोसाइटी (ऊपर) में तर्क और निष्कर्ष जहां तक वे 'केवल' अभिव्यक्ति की व्याख्या से संबंधित हैं, एतद्द्वारा अस्वीकृत हैं। निर्णय तदनुसार हैं

उस हद तक खारिज कर दिया।

धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, दूसरे परंतुक के तहत हो सकता है, केवल संस्थान के उद्देश्यों की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। संस्थान की वास्तविकता और उसके तरीके का पता लगाने के लिए कार्य करते हुए, आयुक्त या अन्य प्राधिकरण [2022] 18 एस. सी. आर. के लिए लेखापरीक्षित खातों या ऐसे अन्य दस्तावेजों के लिए कॉल करने के लिए स्वतंत्र है।

कि आयुक्त अभिलेखों के लिए कॉल नहीं कर सकता है और ऐसे खातों की जांच मूल्यांकन के चरण में होगी। जबकि यह तर्क निस्संदेह लागू होता है। धारा 10 (23 सी) के तहत प्रावधान नए स्थापित न्यासों तक ही सीमित नहीं है-यह मौजूदा न्यासों पर भी लागू होता है। आयुक्त या अन्य प्राधिकारी है

आय और व्यय के प्रतिमान को देखने के लिए खातों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करने से किसी भी तरह से विवश नहीं।

यह माना जाता है कि जहाँ भी न्यास या दान का पंजीकरण किया जाता है

जी।

राज्य या स्थानीय कानूनों के तहत अनिवार्य, संबंधित न्यास, सोसायटी, अन्य संस्थान आदि को भी धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसे राज्य कानूनों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। यह आयुक्त या संबंधित प्राधिकारी को न्यास, सोसायटी आदि की वास्तविकता का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। इस तर्क को धारा 10 (23 सी) के एक अन्य परंतुक को हाल ही में शामिल करने से बल मिलता है।

01.04.2021 .

77. ज्ञान आधारित, सूचना संचालित समाज में, वास्तविक धन शिक्षा और उस तक पहुंच है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था समायोजित करती है, और

यहाँ तक कि धर्मार्थ प्रयास को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह वापस देने की इच्छा से प्रेरित होता है, जो किसी ने समाज से लिया है या लाभान्वित हुआ है। हमारा संविधान एक ऐसे मूल्य को दर्शाता है जो शिक्षा को दान के बराबर मानता है। यह कि इसे न तो व्यापार, व्यापार और न ही वाणिज्य के रूप में माना जाना है, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) में इस अदालत की सबसे आधिकारिक घोषणाओं में से एक द्वारा घोषित किया गया है। शिक्षा की व्याख्या प्रत्येक न्यास या संगठन का 'एकमात्र' उद्देश्य है जो इसे प्रचारित करना चाहता है, इस निर्णय के माध्यम से, संवैधानिक समझ के अनुरूप है और इसके अलावा, इसकी मूल और बेदाग प्रकृति को बनाए रखता है।

78. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, निर्धारिती की अपील विफल हो जाती है। हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदन या पंजीकरण के लिए उनका दावा

बाद की घटनाओं के आलोक में विचार करना होगा, यदि कोई हो,

उस संबंध में किए गए नए आवेदनों में खुलासा किया गया। इस न्यायालय की यह राय है कि चूंकि वर्तमान निर्णय 'केवल' शब्द के अर्थ के संबंध में पिछले फैसलों से अलग हो गया है, इसलिए 3 नई नोबल एजुकेशनल सोसाइटी v.

प्रमुख 1143 आय कर 1 के मिशनर [एस. रवींद्र भाट, जे.]व्यवधान, और प्रभावित होने की संभावना वाले संस्थानों को समय देना

ए.

उचित परिवर्तनों और समायोजनों के कारण, यह समाज के बड़े वर्गों में होगा कि वर्तमान निर्णय इसके बाद काम करता है। ए के रूप में

एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान निर्णय में घोषित कानून संभावित रूप से अनुमान लगाएं। अपीलों को इसके बिना खारिज कर दिया जाता है

लागतों पर।

याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।

एंडी

1 प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)